इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2026–पौष 19, शक 1947

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, अर्पिता गोखले पति पंकज गोखले, निवासी– वार्ड नं. 39, सात भाई की गोठ, लक्ष्मीगंज, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.). विवाह पूर्व मेरा नाम अनिता मोखरीवाले पिता दीपक मोखरीवाले (Anita Mokhriwale D/o. Deepak Mokhriwale) था. मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है. विवाह के पश्चात् मेरा सही नाम अर्पिता गोखले पति पंकज गोखले (ARPITA GOKHALE W/o. PANKAJ GOKHALE) हो गया है, जिसे मैं, अपने शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे अर्पिता गोखले पति पंकज गोखले (ARPITA GOKHALE W/o. PANKAJ GOKHALE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अनिता मोखरीवाले)	(अर्पिता गोखले)
(ANITA MOKHRIWALE)	**(ARPITA GOKHALE)**
पिता– दीपक मोखरीवाले	पति– पंकज गोखले
D/o. Deepak Mokhriwale	W/o. PANKAJ GOKHALE.

(G-174)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम राजू था, जो कि अब बदलकर राजेंद्र दांगी पिता गोपीलाल दांगी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजू)	(राजेंद्र दांगी)
	पिता– गोपीलाल दांगी
	पता– तिल्लोर बुजुर्ग, इंदौर (म.प्र.).

(G-175)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम मास्टर MASTER था, जो कि अब बदलकर शिवांश बघेल SHIVANSH BAGHEL पिता राजेश बघेल हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मास्टर)
(MASTER)

नया नाम
(शिवांश बघेल)
(SHIVANSH BAGHEL)
पता– 317, इदरीश नगर, तिलक नगर, मुसाखेड़ी,
इंदौर (म.प्र.).

(G-176)

CHANGE OF NAME

I, JITENDRA JAISWAL Here by declare that I have changed my name as DILIP SHIVAHARE S/o. VASUDEV SHIVAHARE. So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant
(DILIP SHIVAHARE)
S/o. VASUDEV SHIVAHARE
Add.- 1272 D, SETELITE JUNCTION,
KELOD HALA, INDORE (M.P.).

(G-177)

CHANGE OF NAME

I. NEELAM DUBE (नीलम दुबे) Here by declare that I have changed my name as NEELAM SHARMA (नीलम शर्मा) D/o. RAJENDRA SHARMA (राजेंद्र शर्मा) So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant
(NEELAM SHARMA)
(नीलम शर्मा)
D/o. RAJENDRA SHARMA
(राजेंद्र शर्मा)
Add.- Ward no. 07, Shyampur Bade, Mandir ke pass,
PO: Shyampur, Sehore (M.P.).

(G-178)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री Vanshika Dhandode पिता Kailash Dhandode, माता Smt Kavita Dhandode का नाम जन्म प्रमाण–पत्र, 10वीं की मार्कशीट में दर्ज है एवं त्रुटिवश आधार कार्ड में Vanshita Dhandode नाम दर्ज हो गया है, उक्त दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त Vanshika Dhandode (वंशिका ढांड़ोडे) का नाम समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(Kailash Dhandode).

(G-179)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विशाल लोधी पुत्र मान सिंह लोधी, मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है तथा कुछ दस्तावेजों में विशाल कुमार लोधी पुत्र मान सिंह लोधी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सभी दस्तावेजों में विशाल लोधी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विशाल कुमार लोधी)

नया नाम
(विशाल लोधी).
निवासी– 245, सी/एस–2, स्कीम नं. 78,
विजय नगर, इंदौर (म.प्र.).

(G-180)

नाम परिवर्तन

मैं, श्वेता भलावत पूर्व में मेरे पुत्र का नाम भूमिक जैन (BHUMIK JAIN) पिता श्रीपाल जैन था. जो कि उसके कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरा द्वितीय विवाह ललित भलावत (LALIT BHALAWAT) से होने के पश्चात् अब मेरे पुत्र का नाम भौमिक भलावत (BHAUMIK BHALAWAT) पिता श्रीपाल दत्तक पिता ललित भलावत हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में उसका नाम भौमिक भलावत (BHAUMIK BHALAWAT) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(श्वेता भलावत)
पति– ललित भलावत
पता– 106, मंहत कॉम्पलेक्स, 30,31 नार्थ यशवेत गंज,
इंदौर (म.प्र.).

(G-181)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम ईशा सचदेव (ISHA SACHDEV) पति अशोक था, जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर सुमित्रा अरोरा (SUMITRA ARORA) पति अशोक कर लिया है, जो मेरे पैन कार्ड में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा परिवर्तित नाम सुमित्रा अरोरा (SUMITRA ARORA) पति अशोक के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(ईशा सचदेव)
(ISHA SACHDEV)

नया नाम
(सुमित्रा अरोरा)
(SUMITRA ARORA)
पति– अशोक
पता– 462/एस, सिलिकोन सिटी, इंदौर (म.प्र.).

(G-182)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमला बाई (KAMALA BAI) पति सोधान सिंह (SODHAN SINH) एवं वोटर आई.डी. में मेरा नाम कमलीबाई पति सोहनलाल अंकित है तथा बैंक खाते में मेरा नाम कमली बाई गुर्जर पति मोदान जी गुर्जर (KAMALI BAI GUJAR W/o. MODANJI GUJAR) अंकित है. दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम कमला बाई (KAMALA BAI) पति सोधान सिंह (SODHAN SINH) लिखा–पढ़ा जावे एवं मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कमलीबाई)
(KAMALI BAI)

नया नाम
(कमला बाई)
(KAMLA BAI)
पति– सोधान सिंह
पता– 35/2, जूना रिसाला, इन्दौर (म.प्र.).

(G-183)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम बसु पाटील (BASU PATIL) पति संतोष पाटील (SANTOSH PATIL) है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम बसंती बाई (BASANTI BAI) पति संतोष एवं समग्र आई.डी पर वासु पाटिल (VASU PATIL) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजो पर मेरा सही नाम बसु पाटील (BASU PATIL) पति संतोष पाटील (SANTOSH PATIL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बसंती बाई)
(BASANTI BAI)

नया नाम
(बसु पाटील)
(BASU PATIL)
पति– संतोष पाटील
पता– मकान नं. 594, राम कृष्ण बाग कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-184)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अविराज नीमा (AVIRAJ NEEMA) पिता पियूष नीमा है जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम आश्रय नीमा (AASHRAY NEEMA) पिता पियूष नीमा दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम अविराज नीमा (AVIRAJ NEEMA) पिता पियूष नीमा के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(पियूष नीमा)
पता– 115, मंहत कॉम्पलेक्स, यंशवत गंज
इन्दौर (म.प्र.).

(G-185)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व मे मेरा नाम मनोहर माली (MANOHAR MALI) पिता देवीलाल था. जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है, किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर मनोहर बागवान (MANOHAR BAGVAN) पिता देवीलाल बागवान कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं पैन कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मनोहर माली के स्थान पर मनोहर बागवान (MANOHAR BAGVAN) पिता देवीलाल बागवान के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(मनोहर माली)
(MANOHAR MALI)

नया नाम
(मनोहर बागवान)
(MANOHAR BAGVAN)
पिता– देवीलाल बागवान
पता– 11, वार्ड नं. 14, चंपाबाग मार्ग बागली,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-186)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम ध्रुवेश गुप्ते (DHRUVESH GUPTE) था. जो कि उसके आधार कार्ड/जन्म प्रमाण–पत्र / शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है, किन्तु मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर शिवाय गुप्ते (SHIVAAY GUPTE) रख दिया है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर ध्रुवेश गुप्ते (DHRUVESH GUPTE) के स्थान पर परिवर्तित नाम शिवाय गुप्ते (SHIVAAY GUPTE) पिता संदेश गुप्ते के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संदेश गुप्ते)

पता– 91, नई कारौली नगर, देवास (म.प्र.).

(G-187)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जग्गू गोखले (JAGGU GOKHALE) पिता रणछोड़ गोखले है, जो कि मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों पर दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम जगन्नाथ (JAGANNATH) पिता रणचोड़ दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम जग्गू गोखले (JAGGU GOKHALE) पिता रणछोड़ गोखले के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जगन्नाथ)

(JAGANNATH)

पिता– रणचोड़

नया नाम

(जग्गू गोखले)

(JAGGU GOKHALE)

पिता– रणछोड़ गोखले

पता– 104/1, बालकवाड़ा, जनपद पंचायत कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.).

(G-188)

नाम परिवर्तन

मैं, सूरज (Sooraj) आत्मज श्री जगदीश पुत्र रीशा (Reesha) है, जिसके आधार कार्ड में उसका नाम कृष्णा नट (Krishna Nat) पुत्र श्री सूरज (Suraj) अंकित है. किंतु मेरे पुत्र के समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम रीशा (Reesha) पुत्र श्री सूरज (Sooraj) है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को रीशा (Reesha) पिता श्री सूरज (Sooraj) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(सूरज)

(Sooraj)

पिता– श्री जगदीश

पता– 25, ग्राम कनकट का पुरा, नट कॉलोनी, पंचायत करौला, मुरैना करौला बानमोर, मुरैना (म.प्र.).

(G-189)

नाम परिवर्तन

मैं, पुरुषोत्तम पुत्र भैया लाल हूँ. मेरी पुत्री दुर्गावती (Durgavati) है जिसके आधार कार्ड में उसका नाम दुर्गा बाई आदिवासी (Durga Bai Adiwashi) पुत्री परसोत्तम आदिवाशी (Parsottam Adiwashi) दर्ज है. किंतु मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों/अन्य दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम दुर्गावती (Durgavati) पुत्री पुरूषोत्तम सिंह (Prosatam Singh) है वह इसी नाम से जानी जाती है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को दुर्गावती (Durgavati) पुत्री पुरूषोत्तम सिंह (Prosatam Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पुरुषोत्तम)

पता– म.नं. 04, चनाकुंडा, भरतीपुर, चोराकमरोरा,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(G-190)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पालता डोंगरे (Pushpalata Dongre) पत्नी उत्तम किशन राव डोंगरे (Uttam Kishan Rao Dongre), निवासी– एल.आई.जी. बी–98, ई/6 अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पा डोंगरे (Pushpa Dongre) पत्नी यू.के. डोंगरे (U.K. Dongre) अंकित है किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम पुष्पालता डोंगरे (Pushpalata Dongre) पत्नी श्री उत्तम किशन राव डोंगरे (Uttam Kishan Rao Dongre) है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(पुष्पा डोंगरे)	(पुष्पालता डोंगरे)
(PUSHPA DONGRE)	**(PUSHPALATA DONGRE)**
(यू.के. डोंगरे)	(उत्तम किशन राव डोंगरे)
(U.K. DONGRE)	**(UTTAM KISHAN RAO DONGRE)**

(G-191)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज यदुवंशी (Manoj Yaduwanshi) पिता जुगलकिशोर यदुवंशी हूँ, मेरा पुत्र हर्षित यदुवंशी (Harshit Yaduwanshi) है. जिसके आधार कार्ड में उसका नाम वेदांत यदुवंशी (Vedant Yaduwanshi) पिता मनोज यदुवंशी (Manoj Yaduwanshi) दर्ज है, किंतु मेरे पुत्र के अन्य समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार उसका सही नाम हर्षित यदुवंशी (Harshit Yaduwanshi) पिता मनोज यदुवंशी (Manoj Yaduwanshi) है वह इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को हर्षित यदुवंशी (Harshit Yaduwanshi) पिता मनोज यदुवंशी (Manoj Yaduwanshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज यदुवंशी)
(Manoj Yaduwanshi)

पता– वार्ड नं. 07, पीपल मोहल्ला,
रामनगरी, बमवारा, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(G-192)

नाम परिवर्तन

मैं, रीना जोशी (Reena Joshi) पत्नी श्री योगेश जोशी (Yogesh Joshi) हूँ, मेरा पुत्र दक्ष जोशी (Daksh Joshi) है जिसके समस्त दस्तावेजों में उसका नाम दक्ष शिंदे (Daksh Shinde) पुत्र श्री रवि शिंदे (Ravi Shinde)/ रीना जोशी (Reena Joshi) अंकित है, किंतु मेरे पूर्व पति का स्वर्गवास हो जाने से मैंने दूसरा विवाह कर लिया है और मेरा पुत्र मेरे एवं मेरे वर्तमान पति के संरक्षण में है इस हेतु मैं, अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर दक्ष जोशी (Daksh Joshi) करना चाहती हूँ, अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को दक्ष जोशी (Daksh Joshi) के नाम से जाना–पहचाना एवं अभिलखों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रीना जोशी)

(Reena Joshi)

पत्नी– श्री योगेश जोशी

W/o. Yogesh Joshi

(G-193) पता– एस 668, नेहरू नगर, पुलिस ग्राउंड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, विपुल जैन आत्मज श्री वीरेन्द्र जैन, निवासी– वार्ड क्र. 02, म.नं. 100, पुराना बाजार, खिमलासा, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री का वास्तविक नाम आशिका जैन (Aashika Jain) है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम अबधी जैन (Abdhi Jain) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री अपने नये नाम आशिका जैन (Aashika Jain) से जानी–पहचानी जायेगी एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का यहीं नाम रहेगा.

आवेदक

(विपुल जैन)

(G-194) आत्मज– श्री वीरेन्द्र जैन.

नाम परिवर्तन

मैं, छेदालाल आत्मज श्री जगन्नाथ, निवासी– आई/29, संत आशाराम नगर, बागसेवनियाँ, भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम छेदालाल कुरील (Chhedalal Kuril) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सी.एल. कुरील (C.L. Kuril) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे छेदालाल कुरील (Chhedalal Kuril) के नाम से जाना–पहचाना जाऊंगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम रहेगा.

पुराना नाम

(सी.एल.कुरील)

(C.L. Kuril)

नया नाम

(छेदालाल कुरील)

(Chhedalal Kuril)

(G-195)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेन्द्र सिंह राजपूत पिता श्री रविन्द्र सिंह राजपूत, निवासी– 1 मैन रोड, अर्चना भवन, बागसेवनिया, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का पूर्व नाम सिद्धार्थ सिंह राजपूत था, जो जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मैंने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ सिंह राजपूत से परिवर्तित कर राघव सिंह राजपूत कर लिया है, वह अब इसी नाम से जाना–पहचाना जाता है, भविष्य में भी इसी नाम से जाना–पहचाना जाता रहेगा. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को सिद्धार्थ सिंह राजपूत के स्थान पर राघव सिंह राजपूत के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नरेन्द्र सिंह राजपूत)

(G-196) पिता– श्री रविन्द्र सिंह राजपूत.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमलता अम्बुलकर पति अनिल अम्बुलकर, निवासी– ईडब्ल्यूएस 646, विकास नगर, पानी की टंकी के पास, देवास (म.प्र.). जन्म प्रमाण–पत्र में मेरी बालिका का नाम चेताली पिता अनिल अम्बुलकर तथा माता का नाम लता उर्फ प्रेमलता अम्बुलकर दर्ज हो गया है. जबकि (मेरा) माता का सही नाम प्रेमलता अम्बुलकर पति अनिल अम्बुलकर है, जो आधार कार्ड, अंकसूची व वोटर आई.डी. व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय, अशासकीय, व्यक्तिगत दस्तावेजों सहित मेरी बालिका के जन्म प्रमाण–पत्र में माता का नाम प्रेमलता अम्बुलकर पति अनिल अम्बुलकर के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लता अम्बुलकर)

नया नाम
(प्रेमलता अम्बुलकर)
पति– अनिल अम्बुलकर.

(G-197)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम हिन्दी भाषा में रूद्र पवार तथा अंग्रेजी भाषा में त्रुटिवश Rudr Pawar अंकित हो गया है, जबकि अंग्रेजी भाषा में उसका सही नाम RUDRA PAWAR है. मेरे पुत्र के अंकसूची एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी उसका नाम रूद्र पवार (RUDRA PAWAR) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को रूद्र पवार पिता लक्ष्मी नारायण पवार (RUDRA PAWAR S/o. LAXMI NARAYAN PAWAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(लक्ष्मी नारायण पवार)
पता– म.नं. 87–क सोयत, रेहटी, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-198)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम राजवीर मीना पुत्र राकेश मीना (RAJVEER MEENA S/o. RAKESH MEENA), निवासी– ग्राम कांकरिया, पोस्ट नंदनी, तहसील कालापीपल, शाजापुर (म.प्र.) मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राजा मीना पुत्र राकेश मीना (RAJA MEENA S/o. RAKESH MEENA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम राजवीर मीना पुत्र राकेश मीना (RAJVEER MEENA S/o. RAKESH MEENA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(राकेश मीना).

(G-199)

नाम परिवर्तन

मैं, जागेश्वर चौधरी (Jageswar Choudhri) पिता चंदनलाल चौधरी, निवासी– वार्ड नं. 07, ग्राम नगरवाडा, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) आधारकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश जागेश कुमार चौधरी (Jagesh kumar choudhry) दर्ज हो गया है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. किन्तु मेरी दसवीं कक्षा की अंकसूची में दर्ज नाम और मेरे मतदाता फोटो पहचान–पत्र एवं जमीन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम जागेश्वर चौधरी (Jageswar choudhri) पिता चंदनलाल चौधरी के नाम से भविष्य में संबोधित किया जावे एवं तद्नुसार ही आधारकार्ड एवं अन्य शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में इसी नाम को दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(जागेश कुमार चौधरी)
(Jagesh kumar choudhry)

नया नाम
(जागेश्वरी चौधरी)
(Jageswar Choudhri)
पिता– चंदनलाल चौधरी.

(G-200)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम योगेश जाट पुत्र सुनिल जाट (YOGESH JAT S/o. SUNIL JAT), निवासी– रावद रंगवासा इंदौर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कोहिनूर पुत्र सुनिल (KOHINUR S/o. SUNIL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम योगेश जाट पुत्र सुनिल जाट (YOGESH JAT S/o. SUNIL JAT) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(सुनिल जाट).

(G-201)

नाम परिवर्तन

मैं, शिन्नो (SHINNO) पति अमन कुरैशी (AMAN KURESHI), निवासी-- म.नं. 161, वार्ड नं. 21, लालपुरा पिछला हिस्सा, शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.). मेरे बैंक की एफ.डी. एवं बैंक खाते में मेरा सही नाम शिन्नो (SHINNO) है. जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शबाना बी (SHABANA BEE) है, जो कि गलत है. उक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी अभिलेखों एवं अन्य कार्यवाही में शिन्नो (SHINNO) मान्य किया जाए और जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम
(शबाना बी)
(SHABANA BEE)

नया नाम
(शिन्नो)
(SHINNO).

(G-202)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम सोनम अहिरवार पुत्री श्रीकिशन अहिरवार (SONAM AHIRWAR D/o. SHRIKISHAN AHIRWAR), निवासी-- म. नं. 121, ग्राम माधवन, पोस्ट आरी, तहसील बाबई, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शिवानी अहिरवार पुत्री श्रीकिशन अहिरवार (SHIVANI AHIRWAR D/o. SHRIKISHAN AHIRWAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का नाम सोनम अहिरवार पुत्री श्रीकिशन अहिरवार (SONAM AHIRWAR D/o. SHRIKISHAN AHIRWAR) के नाम से जाना--पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शिवानी अहिरवार)
(SHIVANI AHIRWAR)

नया नाम
(सोनम अहिरवार)
(SONAM AHIRWAR)
पुत्री-- श्रीकिशन अहिरवार
D/o. SHRIKISHAN AHIRWAR

(G-203)

नाम परिवर्तन

मैं, आशाराम पुत्र प्रतापसिंह, निवासी– पैकोली, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णकांत (Krishankant) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसका सही नाम निकेश सिंह (Nikesh Singh) पुत्र आशाराम (Asharam) है, जो सही है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम निकेश सिंह (Nikesh Singh) पुत्र आशाराम (Asharam) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा--पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(आशाराम).

(G-204)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम जयदीप सेंधव पिता गोकुल सिंह सेंधव (JAYDEEP SENDHAV S/o. GOKUL SINGH SENDHAV) है. परन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश आर्यकुवर राजपूत माता बरसा बाई (AARYKUVAR RAJPUT S/o. BARSHA BAI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम जयदीप सेंधव पिता गोकुल सिंह सेंधव (JAYDEEP SENDHAV S/o. GOKUL SINGH SENDHAV) उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके आधार कार्ड शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक अशैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को जयदीप सेंधव पिता गोकुल सिंह सेंधव (JAYDEEP SENDHAV S/o. GOKUL SINGH SENDHAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(गोकुल सिंह सेंधव)
आत्मज– अकेसिंह
निवासी– वार्ड नं. 07, मुडलाना, देवास (म.प्र.).

(G-205)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम मुनीर तौसिब पिता शेख सलीम (MUNEER TOUSIB S/o. SHEKH SALIM), निवासी– ग्राम चिमौआ, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश तौसिफ पिता शेख सलीम (TOUSIF S/o. SHEKH SALEEM) दर्ज है जो कि गलत है. मेरी कक्षा दसवीं एवं 12 वीं की अंकसूची में मेरा सही नाम मुनीर तौसिब पिता शेख सलीम (MUNEER TOUSIB S/o. SHEKH SALIM) दर्ज है. मुनीर तौसिब पिता शेख सलीम (MUNEER TOUSIB S/o. SHEKH SALIM) एवं तौसिफ पिता शेख सलीम (TOUSIF S/o. SHEKH SALEEM) दोनों एक ही व्यक्ति हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मुनीर तौसिब पिता शेख सलीम (MUNEER TOUSIB S/o. SHEKH SALIM) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(तौसिफ)
(TOUSIF)

नया नाम
(मुनीर तौसिब)
(MUNEER TOUSIB)
पिता– शेख सलीम
S/o. SHEKH SALIM.

(G-206)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनील कुमार नरवरे पिता जाटु सिंह नरवरे, निवासी– ग्राम कोयलारी, रानीपुर, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरा सही नाम सुनील कुमार नरवरे (SUNIL KUMAR NARVARE) पिता जाटु सिंह नरवरे (JATU SINGH NARVARE) है, परन्तु मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश सुनील नर्रे (Sunil Narre) पिता जाटू नर्रे (Jatu Narre) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे शैक्षणिक दस्तावेज व वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा सही नाम सुनील कुमार नरवरे (SUNIL KUMAR NARVARE) पिता जाटु सिंह नरवरे (JATU SINGH NARVARE) दर्ज हैं जिसे मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे सुनील कुमार नरवरे (SUNIL KUMAR NARVARE) पिता जाटु सिंह नरवरे (JATU SINGH NARVARE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सुनील नर्रे)
(SUNIL NARRE)
पिता– जाटू नर्रे
Jatu Narre

नया नाम
(सुनील कुमार नरवरे)
(SUNIL KUMAR NARVARE)
पिता– जाटु सिंह नरवरे
JATU SINGH NARVARE.

(G-207)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम सागर है, जो कि मेरे मार्कसीट, बैंक का खाता आदि दस्तावेजों में दर्ज है. परन्तु आधार कार्ड में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुशवाह दर्ज है. धर्मेन्द्र कुशवाह और सागर मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुशवाह (DHARMENDRA KUSHWAH) के स्थान पर सागर (SAGAR) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(धर्मेन्द्र कुशवाह)
(DHARMENDRA KUSHWAH)

नया नाम

(सागर)
(SAGAR)
पिता– जगत सिंह
निवासी– नागोर, पोस्ट आतंरी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-208)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम जयेन्द्र सिंह है, जो कि मेरे राजस्व अभिलेख, बैंक की पास बुक आदि दस्तावेजों में दर्ज है. परन्तु आधार कार्ड में मेरा नाम कल्लू दर्ज है. कल्लू और जयेन्द्र सिंह मुझ एक ही व्यक्ति के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कल्लू (KALLU) के स्थान पर जयेन्द्र सिंह (JAYENDRA SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कल्लू)
(KALLU)

नया नाम

(जयेन्द्र सिंह)
(JAYENDRA SINGH)
पिता– श्री फूल सिंह
निवासी– ग्राम सिहोली, पोस्ट बहादुरपुर,
ग्वालियर (म.प्र.).

(G-209)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विजयन्ती बाई है, मेरे पति के पेन्शन पेमेन्ट आर्डर, खसरा आदि दस्तावेजों में दर्ज है. परन्तु आधार कार्ड में मेरा नाम विजयदेवी दर्ज है. विजयदेवी और विजयन्ती बाई मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम विजयदेवी (VIJAYADEVI) के स्थान पर विजयन्ती बाई (VIJANTHI BAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विजयदेवी)
(VIJAYADEVI)

नया नाम

(विजयन्ती बाई)
(VIJANTHI BAI)
पत्नी– श्री मुकेश
पता– सुतार पुरा, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-210)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शकुन्तला है, जो मेरे पति के पेन्शन पेमेन्ट आर्डर आदि दस्तावेजों में दर्ज है. परन्तु आधार कार्ड में मेरा घरू नाम सुमन ठकराल दर्ज है. सुमन ठकराल और शकुन्तला मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों आदि में मेरा नाम सुमन ठकराल (SUMAN THAKRAL) के स्थान पर शकुन्तला (SHAKUNTLA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सुमन ठकराल)	(शकुन्तला)
(SUMAN THAKRAL)	**(SHAKUNTLA)**
	पत्नी– स्व. श्री संत लाल ठकराल
	निवासी– ग्राम बजहेरा, टेकनपुर
	जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-211)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम गन्धर्व सिंह है जो कि मेरे राजस्व अभिलेख, बैंक का खाता और आदि दस्तावेजो में दर्ज है. परन्तु आधार कार्ड में मेरा घरू नाम गन्दपाल दर्ज है. गन्दपाल और गन्धर्व सिंह मुझ एक ही व्यक्ति के नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम गन्दपाल (GANDPAL) के स्थान पर गन्धर्व सिंह (GANDHARV SINGH) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गन्दपाल)	(गन्धर्व सिंह)
(GANDPAL)	**(GANDHARV SINGH)**
	पिता– दधिराम सिंह लोधी
	निवासी– ग्राम पदमपुर खेरिया, पोस्ट जडेरूआ कला,
	मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-212)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का पूर्व में नाम टिव्कंल चौहान (Twinkal Chouhan) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को ट्रिंकल चौहान (Trinkal Chouhan) के नाम से जाना– पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेंद्र चौहान)

(Rajendra Chouhan)

निवासी–264, महावर नगर, अन्नपूर्णा रोड,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-213)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आकांक्षा कसाब (Aakanksha Kasab) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे आकांक्षा देशमुख, (Aakanksha Deshmukh) के नाम से जाना– पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(आकांक्षा देशमुख)

(Aakanksha Deshmukh)

निवासी– 40, ठापू नगर, नंदा नगर,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-214)

उपनाम परिवर्तन

पुर्व में मेरा नाम जयश्री कसाब (Jaishri Kasab) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे जयश्री देशमुख (Jaishri Deshmukh) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(जयश्री देशमुख)

(Jaishri Deshmukh)

निवासी– 40, ठापू नगर, नंदा नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-215)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम गुरंश सिंह अजमानी (Guransh Singh Ajmani) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को माहां सिंह (Maha Singh) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गुरप्रीत सिंह अजमानी)

(Gurpreet Singh Ajmani)

निवासी– 148, अमितेश नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-216)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अंकित कसाब (Ankit Kasab) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अंकित देशमुख (Ankit Deshmukh) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अंकित देशमुख)

(Ankit Deshmukh)

निवासी– 40, ठापू नगर, नंदा नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-217)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अरविन्द कसाब (Arvind Kasab) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अरविन्द देशमुख (Arvind Deshmukh) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(अरविन्द देशमुख)

(Arvind Deshmukh)

निवासी– 40, ठापू नगर, नंदा नगर,
जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-218)

उपनाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम संजय कसाब (Sanjay Kasab) था. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे संजय देशमुख (Sanjay Deshmukh) के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(संजय देशमुख)

(Sanjay Deshmukh)

निवासी– 40, ठापू नगर, नंदा नगर, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(G-219)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजा ठाकुर आत्मज श्री इंदर ठाकुर (RAJA THAKUR S/o. SHRI INDER THAKUR), निवासी– ग्राम पंचडेरिया, तहसील सांवेर, जिला इंदौर (म.प्र.). मेरा सही नाम राजा ठाकुर आत्मज श्री इंदर ठाकुर (RAJA THAKUR S/o. SHRI INDER THAKUR) है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश राज ठाकुर आत्मज श्री इंदर ठाकुर (RAJ THAKUR S/o. SHRI INDER THAKUR) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम राजा ठाकुर आत्मज श्री इंदर ठाकुर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राज ठाकुर)
(RAJ THAKUR)

नया नाम

(राजा ठाकुर)
(RAJA THAKUR)
आत्मज– श्री इंदर ठाकुर
S/o. SHRI INDER THAKUR.

(G-220)

नाम परिवर्तन

मैं, अनन्या जैन पुत्री श्री सोहिल जैन (ANANYA JAIN D/o. SHRI SOHIL JAIN), निवासी– 151/2, इमली बाजार, राजबाड़ा इंदौर (म.प्र.). मेरा सही नाम अनन्या जैन पुत्री श्री सोहिल जैन है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में अंकित है. मेरे बैंक अकाउंट पॉलिसी एवं संबंधित दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा नाम भव्या जैन पुत्री श्री सोहिल जैन (BHAVYA JAIN D/o. SHRI SOHIL JAIN) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अनन्या जैन पुत्री श्री सोहिल जैन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(भव्या जैन)
(BHAVYA JAIN)

नया नाम

(अनन्या जैन)
(ANANYA JAIN)
पुत्री– श्री सोहिल जैन
D/o. SHRI SOHIL JAIN.

(G-221)

नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र दलवी (RAVINDRA DALVI) पुत्र श्री हनुमंत राव दलवी, मेरे पिताजी का नाम हनुमंत राव दलवी है. जो मेरे शैक्षणीक प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि में लिखा गया है. मेरे पासपोर्ट में गलती से पिताजी का नाम हनुमंत राव दलवी के स्थान पर हनुमंत दलवी हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पासपोर्ट में मेरे पिता का नाम हनुमंत दलवी के स्थान पर हनुमंत राव दलवी लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रविन्द्र दलवी)
पता– 129, मोहन सिंह का बाड़ा, दौलतगंज,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-222)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/S CREATIVE DEVELOPERS जो एफ–120/बी–5. ग्रीन पॉर्क डोंगरपुर, न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर (म.प्र.) में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 02–42–01–0106–24 एवं दिनांक 08– 07–2024 है, जिसमें दिनांक 14–11–2025 को भागीदार (1) श्री कल्याण सिंह गुर्जर पुत्र श्री महाराज सिंह गुर्जर, निवासी– शीतला नगर, सिरोल रोड, मुरार, ग्वालियर, (म.प्र.), (2) श्रीमती हेमलता गुर्जर पत्नी श्री कल्याण सिंह गुर्जर, निवासी– 167, पृथ्वी नगर, शीतला नगर, सिरोल रोड, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) दोनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से प्रथक् हो गये.

M/S CREATIVE DEVELOPERS

सचिन सिंह कंसाना
(भागीदार)
पता– एफ–120/बी–5. ग्रीन पॉर्क, डोंगरपुर,
न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-223)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the firms " M/s SETU ENGINEERING " of MIG-II-28, VIVEKANAND PURAM, SHIVPURI (M.P.) Vide Registration No. Reg. No. 02/42/01/0200/21, Dated 24-09-2021 has undergone reconstitution in the partnership, whereby from 10-02-2025, Smt Pallavi Sharma, Shri Aryan Sharma are joining the Firm as a partner and on the same date Shri Ashish Malik is retiring from the firm. Please all be informed.

M/s SETU ENGINEERING

Arpit Sharma
(Partner).

(G-224)

नाम परिवर्तन

मैं, शकुन्तला (SHAKUNTLA) पत्नी श्री शिशिर खरे, मेरा पूर्व का नाम राजरानी खरे (RAJRANI KHARE) था, जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, शकुन्तला पत्नी श्री शिशिर खरे के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. शकुन्तला एवं राजरानी खरे दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम राजरानी खरे के स्थान पर शकुन्तला लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(राजरानी खरे)

नया नाम
(शकुन्तला)
पत्नी– श्री शिशिर खरे
पता– भगत सिंह नगर, पिन्टू पार्क,
मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-225)

नाम परिवर्तन

मैं, राजू कुशवाह (RAJU KUSHWAH) पुत्र श्री भजन लाल, मेरा पूर्व नाम दौलत कुशवाह (DAULAT KUSHWAH) था, जो मेरी बीमा पॉलिसी में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, राजू कुशवाह पुत्र श्री भजन लाल के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. राजू कुशवाह एवं दौलत कुशवाह दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी बीमा पॉलिसी में मेरा नाम दौलत कुशवाह के स्थान पर राजू कुशवाह लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दौलत कुशवाह)

नया नाम
(राजू कुशवाह)
पुत्र– श्री भजन लाल
पता– ग्राम खेरी, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-226)

नाम परिवर्तन

मैं, भीकम सिंह (BHEEKAM SINGH) पुत्र श्री भजन लाल, मेरी पुत्री का नाम काजल जाटव (KAJAL JATAV) है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम किंजल (KINJAL) लिखा गया है, जो कि गलत है. वर्तमान एवं भविष्य में मेरी पुत्री को काजल जाटव के नाम से जाना–पहचाना जाता है. मेरी पुत्री के शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. काजल जाटव एवं किजल दोनों मेरी ही पुत्री के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री किंजल के स्थान पर काजल जाटव लिखा– पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(भीकम सिंह)

पता– ग्राम रायपुरा, नं. 02, भिंड (म.प्र.).

(G-227)

नाम परिवर्तन

मैं, मन्दाकिनी बाथम (MANDAKINI BATHAM) पत्नी श्री राजेश कुमार बाथम, मेरा पूर्व का नाम कामिनी बाथम (KAMINI BATHAM) था, जो मेरे चंबल फर्टीलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड के शेयर में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, मन्दाकिनी बाथम पत्नी श्री राजेश कुमार बाथम के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. मन्दाकिनी बाथम एवं कामिनी बाथम दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे चंबल फर्टीलाईजर्स एण्ड कैमिकल लिमिटेड के शेयर में मेरा नाम कामिनी बाथम के स्थान पर मन्दाकिनी बाथम लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(मन्दाकिनी बाथम)

पत्नी– श्री राजेश कुमार बाथम

पता– देवी कुंज वनबिहार कॉलोनी, करोंदी रोड,
वार्ड नं. 38, शिवपुरी (म.प्र.).

(G-228)

नाम परिवर्तन

मैं, अन्वेषा शर्मा (ANVESHA SHARMA) पुत्री श्री नरेश शर्मा, मेरा पूर्व का नाम ऋतु शर्मा (RITU SHARMA) था, जो कि मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी में लिख गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य मे मुझे अन्वेषा शर्मा पुत्री श्री नरेश शर्मा के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. मेरे बैंक खाता, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड इत्यादि में लिखा हुआ है. अन्वेषा शर्मा एवं ऋतु शर्मा दोनों मेरे ही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी में मेरा नाम ऋतु शर्मा के स्थान पर अन्वेषा शर्मा लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(अन्वेषा शर्मा)

पुत्री– श्री नरेश शर्मा

पता– 44 ए, गांधी कॉलोनी, मुरैना (म.प्र.).

(G-229)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सोनाली पाल (SONALI PAL) पुत्री श्री राकेश, मेरा पूर्व का नाम सोनम खान (SONAM KHAN) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, सोनाली पाल पुत्री श्री राकेश के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सोनम खान के स्थान पर सोनाली पाल लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सोनाली पाल)

पुत्री– श्री राकेश

पता– दरगाह के सामने, लक्कड़ खाना,
पुल के नीचे, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-230)

नाम परिवर्तन

मैं, निर्मला देवी गोयल (NIRMALA DEVI GOYAL) पत्नी श्री देवीराम अग्रवाल, मेरा पूर्व का नाम उर्मिला गोयल (URMILA GOYAL) था, जो मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसी के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में लिखा गया है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, निर्मला देवी गोयल पत्नी श्री देवीराम अग्रवाल के नाम से जानी–पहचानी जाती हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र की बीमा पॉलिसी के नॉमिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरा नाम उर्मिला गोयल के स्थान पर निर्मला देवी गोयल लिखा– पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका
(निर्मला देवी गोयल)
पत्नी– श्री देवीराम अग्रवाल
पता– शिव कृपा, ईगले साहब का बाडा,
दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-231)

नाम परिवर्तन

मैं, अमर (AMAR) पुत्र श्री वासुदेव पाल, मेरा पूर्व का नाम अमन पाल (AMAN PAL) था, जो मेरे आधार कार्ड में गलती से लिख गया है, जो कि गलत है, जबकि वर्तमान एवं भविष्य में अमर पुत्र श्री वासुदेव पाल के नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ. जो मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अमर एवं अमन पाल दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अमन पाल के स्थान पर अमर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अमन पाल)

नया नाम
(अमर)
पुत्र– श्री वासुदेव पाल
पता– ग्राम सिगोरा, बरई, गिर्द,
मोतीझाल, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-232)

नाम परिवर्तन

मैं, कमल सिंह तोमर (KAMAL SINGH TOMAR) पुत्र श्री रणवीर सिंह तोमर, मेरे पुत्र का नाम तेजप्रताप सिंह तोमर (TEJPRATAP SINGH TOMAR) है, जबकि उसके आधार कार्ड में गलती से उसका नाम तेजश तोमर (TEJASH TOMAR) लिख गया है, जो कि गलत है. वर्तमान एवं भविष्य में मेरे पुत्र को तेजप्रताप सिंह तोमर के नाम से जाना–पहचाना जाता है, जो उसके शासकीय, अर्द्धशासकीय प्रपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. तेजप्रताप सिंह तोमर एवं तेजश तोमर दोनों मेरे ही पुत्र के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को तेजश तोमर के स्थान पर तेजप्रताप सिंह तोमर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(कमल सिंह तोमर)
पता– ग्राम हॉला पुरा, रतनबसई, मुरैना (म.प्र.).

(G-233)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप मालवीय मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम संजीव मालवीय (SANJEEV MALVIYA) अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र में संदीप मालवीय (SANDEEP MALVIYA) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम संदीप मालवीय (SANDEEP MALVIYA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(संजीव मालवीय)
(SANJEEV MALVIYA)

नया नाम
(संदीप मालवीय)
(SANDEEP MALVIYA)
पताः–29 क, कुँआखेड़ी, ग्राम कुँआखेड़ी,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-234)

नाम परिवर्तन

मैं, वसीम बैग मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम अफ्तर बैग (AFTER BEG) अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में आफताब बैग (AFTAB BAIG) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम आफताब बैग (AFTAB BAIG) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(वसीम बैग)
पताः–ग्राम–बांसखेड़ा, रायसेन (म.प्र.).

(G-235)

नाम परिवर्तन

मैं, अजमेर सिंह मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गुड्डी (GUDDI) अंकित हो गया है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र में राधिका गुर्जर (RADHIKA GURJAR) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री का सही नाम राधिका गुर्जर (RADHIKA GURJAR) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अजमेर सिंह)
पताः– ग्राम–खेरोदा बागरोद, (म.प्र.).

(G-236)

नाम परिवर्तन

मैं, हरी सिंह आदिवासी मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामचरण (RAMCHARAN) अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र में हरी सिंह आदिवासी (HARI SINGH ADIWASI) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम हरी सिंह आदिवासी (HARI SINGH ADIWASI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(रामचरण)
(RAMCHARAN)

नया नाम
(हरी सिंह आदिवासी)
(HARI SINGH ADIWASI)
पताः–155, नानकपुर, तह. नटेरन, जिला विदिशा (म.प्र.)

(G-237)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म का नाम "मे. मतंगेश्वर मिनरल्स" जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 06–12–01–0108–25, दिनांक 14–01–2025 एवं फर्म का पता– 210/1, वार्ड नं. 11, अम्बे मार्ग, मालवीय बसारी दरवाजा, छतरपुर (म.प्र.) 471001 में स्थित है. जिसमें पूर्व से दो पक्षकार श्री संदीप अग्रवाल पिता श्री भरत कुमार अग्रवाल आयु 42 वर्ष, निवासी– म.नं. 210/1 वार्ड नं. 19, अम्बे मार्ग, मालवीय बसारी दरवाजा, छतरपुर, (म.प्र.). एवं श्री अरविन्द पटैरिया पिता श्री रघुवर दयाल पटैरिया आयु 45 वर्ष, निवासी– म.नं. 241K, वार्ड नं. 34, चौबे कॉलोनी, छतरपुर (म.प्र.) है तथा आज दिनांक 24–05–2025 को दीन दयाल मिनरल्स एलएलपी रजिस्टर्ड ऑफिस HIG–01, पेप्टेक टाऊन, छतरपुर (म.प्र.) 471001 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता चंद्रशेखर चौरसिया पिता श्री डी.डी. चौरसिया, निवासी– 9ए, पैरामाउंट विला, अंसाल्स रीजनल कॉलेज के पास, श्यामला हिल्स हुजूर, भोपाल (म.प्र.) 462013 अपनी स्वेच्छा से सम्मलित हो गये हैं उक्त विषय हेतु किसी भी व्यक्ति को भी कोई आपत्ति हो तो कृपया कर निम्नलिखित नंबर पर सूचित करें.

मे. मतंगेश्वर मिनरल्स
संदीप अग्रवाल
(भागीदार).

(G-238)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आयने (AAYNA) आधार कार्ड में गलत अंकित हो गया है, जिसे बदलकर मैंने अपने पुत्र का नया नाम से आर्यन पारधी (ARYAN PARDHI) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को आर्यन पारधी (ARYAN PARDHI) के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(संतोष पारधी)
आत्मज– श्री भीम राव पारधी
पता– 16, पटेल वॉर्ड, सरदार, बेतुल (म.प्र.).

(G-239)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्री का नाम इति मीना (ETI MEENA) है, जो कि उसके आधार कार्ड में गलत अंकित हो गया है, जिसे बदलकर मैंने अपनी पुत्री का नया नाम आराधना मीना (ARADHANA MEENA) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को आराधना मीना (ARADHANA MEENA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(पदम सिंह मीना)
आत्मज– श्री मन्नुलाल मीना
पता– म.नं. 83, वार्ड नं.7, तहसील बाबई,
काजल खेडी, होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-240)

नाम परिवर्तन

मैं, अरविन्द तिवारी आत्मज श्री हरीशंकर तिवारी, निवासी– हिनोतिया चांदबड़, सिकंदरी सराय, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम अरविन्द तिवारी (Arvind Tiwari) है. मेरे सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अरविन्द हरीशंकर तिवारी (Arvind Harishankar Tiwari) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत अपने सही नाम अरविन्द तिवारी (Arvind Tiwari) से जाना–पहचाना जावे तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अरविन्द तिवारी).

(G-241)

नाम परिवर्तन

मुझे राजकिशोर पिता रामपालसिंह के नाम से जाना जाता था. मैंने मेरा नाम बदलकर राजकिशोर सिकरवार पिता रामपाल सिंह कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे नए नाम राजकिशोर सिकरवार पिता रामपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जावे तथा समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजकिशोर)	**(राजकिशोर सिकरवार)**
(RAJKISHOR)	**(RAJKISHOR SIKARWAR)**
	पिता– रामपालसिंह
	S/O. RAMPAL SINGH.

(G-242)

CHANGE OF NAME

I, Vivek Kumar Pathak S/o. Siyaram Pathak, R/O Gram Sihora, Teh. Gadarwara, Sihora, Narsinghpur, (M. P.). 487441 Have Changed The Name Of My Minor Son Namely KRISHNA PATHAK (कृष्णा पाठक) And He Shall Hereafter Be Known As AARADHAY PATHAK (आराध्य पाठक) For All Future Purposes.

Old Name	New Name
(KRISHNA PATHAK)	**(AARADHAY PATHAK)**
(कृष्णा पाठक)	**(आराध्य पाठक)**

(G-243)

नाम परिवर्तन

मैं, मुन्नी पिता बाबू लाल, निवासी– म.नं. 433, बापू नगर, रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे शासकीय एवं अन्य सभी कार्यों के लिये अपना नाम परिवर्तित कर अरूणा कुमारी पिता बाबू लाल कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे अरूणा कुमारी पिता बाबू लाल के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुन्नी)	**(अरूणा कुमारी)**

(G-244)

नाम परिवर्तन

मैं, देवजानी विश्वकर्मा पति शिव प्रसाद, निवासी– म.नं. 2134, लालमाटी हनुमान होटल चौक, सिद्ध बाबा वार्ड, कांचघर, जिला जबलपुर (म.प्र). मेरे शासकीय एवं अन्य सभी कार्यों के लिये अपना नाम परिवर्तित कर देवजानू बाई (DEOJANU BAI) पति शिव प्रसाद कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे देवजानू बाई (DEOJANU BAI) पति शिव प्रसाद के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवजानी विश्वकर्मा)	**(देवजानू बाई)**
	(DEOJANU BAI).

(G-245)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती संगीता सरीन पति श्री नामिन्दर सरीन, निवासी– सैनी कॉलोनी के आगे, काली मन्दिर के पास, बिलपुरा रोड सनसिटी मड़ई थाना रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश हनी उर्फ श्रीयांस दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में उसका नाम श्रीयांस सरीन (SHRIYANS SAREEN) पिता श्री नामिन्दर सरीन अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को श्रीयांस सरीन (SHRIYANS SAREEN) पिता श्री नामिन्दर सरीन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी
(संगीता सरीन)
पति– श्री नामिन्दर सरीन.

(G-246)

नाम परिवर्तन

मैं, जगदीश माटेकर पिता श्री भादु, निवासी– म.नं. 934, चम्पा नगर, मानेगांव थाना रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं एल.आई.सी. में उसका नाम त्रुटिवश एंजेल माटेकर (ANGEL MATEKAR) दर्ज हो गया है. जबकि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र एवं शिक्षा संबंधित प्रमाण–पत्र में उसका नाम आराध्या माटेकर (AARADHYA MATEKAR) पिता श्री जगदीश माटेकर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को आराध्या माटेकर (AARADHYA MATEKAR) पिता श्री जगदीश माटेकर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक
(जगदीश माटेकर)
पिता– श्री भादु.

(G-247)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी विलेख वर्ष 1984 में सम्पादित हुआ फर्म मेसर्स नरेन्द्र एण्ड सन्स पता छोटी देवी मंदिर के पास नगर भवन रोड टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 जिसका पंजीकरण 22 जनवरी 1984 को फर्म एवं सोसाइटी रजिस्ट्रार के समक्ष किया गया था. जिसके अनुसार 1. श्री नरेन्द्र कुमार भामरी सुपुत्र स्व. श्रीराम भामरी, निवासी– वार्ड नं. 07, हवेली के पास, टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 (प्रथम पक्ष), 2. श्रीमती सुनीता भामरी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार भामरी, निवासी– वार्ड नं. 07, हवेली के पास, टीकमगढ (म.प्र.) 472001 (द्वितीय पक्ष), 3. श्रीमती मधु भामरी पत्नी राजेन्द्र भामरी, निवासी– वार्ड नं. 07, हवेली के पास, टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 (तृतीय पक्ष) साझेदार थे.

उक्त फर्म का भागीदारी विलेख वर्ष 1992 एवं 1997 में पुनः संपादित किया गया, जिसमें वर्ष 1992 में लाभ हानि प्रतिशत में परिवर्तन किया गया जिसमें उपरोक्त साझेदार यथावत् थे एवं वर्ष 1997 में रजिस्ट्रार्ड ऑफिस के पते में परिवर्तन किया गया इस वर्ष भी उपरोक्त साझेदार यथावत थे.

वर्ष 2023 में सम्पादित नवीनतम भागीदार विलेख के अनुसार श्रीमती सुनीता भामरी पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार भामरी, निवासी– वार्ड नं. 07 हवेली के पास टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 एवं श्रीमती मधु भामरी पत्नी राजेन्द्र भामरी, निवासी– वार्ड नं. 07, हवेली के पास, टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 फर्म से सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा श्रीमती सुनीला भामरी पत्नी नरेन्द्र कुमार भामरी, निवासी–वार्ड नं. 07, हवेली के पास, टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 एवं श्रीमती चारू भामरी पत्नी अचिन भामरी, निवासी– रामुकुटीर, हवेली रोड टीकमगढ़ (म.प्र.) 472001 को नवीन साझेदार के रूप में सम्मिलित किया गया, उपरोक्त परिवर्तन दिनांक 24 जनवरी 2023 से लागू माने जाएंगे.

फर्म मेसर्स नरेन्द्र एण्ड सन्स

1. **नरेन्द्र कुमार भामरी**
2. **श्रीमती चारू भामरी**
3. **श्रीमती सुनीला भामरी**

(भागीदार).

(G-248)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम साक्षी SAKSHI था. जो कि अब बदलकर रवीना जाटवा RAVINA JATWA पिता चंदन हो गया है. अतः मुझे नाम से जाना जावे.

पुराना नाम
(साक्षी)
(SAKSHI)

नया नाम
(रवीना जाटवा)
(RAVINA JATWA)
पताः– 132, ग्राम राजोदा, सांवेर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-249)

CHANGE OF NAME

I NIRMAL SONGARA (निर्मल सोनगरा) Here by declare that I have changed my name as MAHAMANDLESHWAR KAPALINANDGIRI MAHARAJ (महामंडलेश्वर कपालीनंदगिरी महाराज) S/O. DINESH SONGARA (दिनेश सोनगरा) So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant
(MAHAMANDLESHWAR KAPALINANDGIRI MAHARAJ)
(महामंडलेश्वर कपालीनंदगिरी महाराज)
S/O. DINESH SONGARA
पिता– दिनेश सोनगरा
ADD- 89, PALDA TEJAJI CHOUK, SHIV MANDIR PALDA,
PO: GPO, INDORE (M.P.).

(G-250)

CHANGE OF NAME

I, SANVI RAJPUT (सानवी राजपूत), Here by declare that I have changed my name as NITYA RAJPUT (नित्या राजपूत) S/o. NARAYAN SINGH RAJPUT (नारायण सिंह राजपूत) So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant
(NITYA RAJPUT)
(नित्या राजपूत)
S/O. NARAYAN SINGH RAJPUT
पिता– नारायण सिंह राजपूत
ADD-F 15, SHREE RAM COLONY, RAU, RAU,
PO :RAU, DIST: INDORE (M.P.).

(G-251)

नाम परिवर्तन

मैं, नीलकंठ सिंह पिता चक्करसूदर्शन सिंह, निवासी– हाउस नं. 28, वार्ड न. 10, ग्राम गोढावर, पोस्ट दरवारी चितरांगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रामरती (Ramrtee) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम लाल कुमारी देवी (LAL KUMARI DEVI) हैं, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है जिसे मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहता हूँ. लाल कुमारी देवी (LAL KUMARI DEVI) व रामरती (Ramrtee) दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को लाल कुमारी देवी (LAL KUMARI DEVI) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक
(नीलकंठ सिंह)
पिता– चक्करसूदर्शन सिंह.

(G-252)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शाहिना बी पत्नी शाहिद खान (SHAHINA BEE W/o. SHAHID KHAN), निवासी– अटल नेहरू नगर, भानपुर, पीपल्स कैम्पस, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शहना बी पत्नी शाहिद खान (SHAHNA BEE W/o. SHAHID KHAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम मतदाता पहचान–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम शाहिना बी पत्नी शाहिद खान (SHAHINA BEE W/o. SHAHID KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शहना बी)	**(शाहिना बी)**
(SHAHNA BEE)	**(SHAHINA BEE)**
	पत्नी– शाहिद खान
(G-253)	W/o. SHAHID KHAN.

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश सिंह रघुवंशी पुत्र श्री लाल सिंह रघुवंशी, निवासी– 33, अजीतपुर भडेरु, तह. गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम वाणी रघुवंशी पुत्री श्री दिनेश सिंह रघुवंशी माता सरोज रघुवंशी ने अपनी पुत्री का नाम बदलकर बरकत रघुवंशी पुत्री श्री दिनेश सिंह रघुवंशी कर लिया है. यह दोनों नाम मेरी ही पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम बरकत रघुवंशी पुत्री श्री दिनेश सिंह रघुवंशी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(दिनेश सिंह रघुवंशी)

(G-254) पुत्र– श्री लाल सिंह रघुवंशी

नाम परिवर्तन

मैं, अजिम नाज पत्नी स्व. श्री मोहम्द फारूक, निवासी– वार्ड नम्बर 06, इन्द्रपुरा, पुरानी इटारसी, तहसील इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा नाम अजिम नाज पति मोहम्मद फारूक अंकित है. मेरे आधार कार्ड जिसमें त्रुटिवश मेरा गलत नाम अजीम बानो पति मो. फारूक अंकित है, जो कि गलत है. वास्तव में मेरा सही नाम अजिमनाज पत्नी स्व. श्री मोहम्मद फारूक है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(अजिमनाज)

(G-255) पत्नी– स्व. श्री मोहम्मद फारूक.

नाम परिवर्तन

मैं, कमल सिंह (KAMAL SINGH) पिता स्व. श्री एन.पी.सिंह, निवासी– मकान नं.–20 नेशनल हाऊसिंग सोसायटी, छापर रामपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम कमल कुमार सिंह (KAMAL KUMAR SINGH) दर्ज है. मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व वोटर आईडी में मेरा नाम कमल सिंह (KAMAL SINGH) दर्ज है, जो कि सही एवं सत्य है. कमल सिंह (KAMAL SINGH) एवं कमल कुमार सिंह (KAMAL KUMAR SINGH) यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति यानि मेरे है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय अभिलेखों में सही नाम कमल सिंह (KAMAL SINGH) पिता स्व. एन.पी. सिंह के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमल कुमार सिंह)	**(कमल सिंह)**
(KAMAL KUMAR SINGH)	(KAMAL SINGH)
(G-256)	

उपनाम परिवर्तन

मैं, आयुषी गुप्ता पति श्री शुभम जोशी, निवासी– 14, परवाना नगर, उज्जैन (म.प्र.). विवाह पूर्व मेरा नाम आयुषी गुप्ता पिता श्री अजीत गुप्ता मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक ऑफ इंडिया के सर्विस रिकार्ड एवं पासपोर्ट में दर्ज है. मेरा विवाह श्री शुभम जोशी पिता श्री श्यामसुंदर जोशी के साथ सम्पन्न हो जाने के उपरान्त आधार कार्ड में मेरा नाम आयुषी जोशी पति शुभम जोशी एवं पैन कार्ड में आयुषी जोशी पिता अजीत गुप्ता दर्ज हो गया है. आयुषी गुप्ता व आयुषी जोशी दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं, किन्तु मुझे आयुषी गुप्ता के नाम से ही जाना–पहचाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में मेरा सही नाम आयुषी गुप्ता सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, दस्तावेजों में आयुषी जोशी के स्थान पर मेरा नाम आयुषी गुप्ता के नाम से जाना– पहचाना जावें.

पुराना नाम

(आयुषी जोशी)
(AYUSHI JOSHI)

नया नाम

(आयुषी गुप्ता)
(AYUSHI GUPTA)
पति– श्री शुभम जोशी
निवासी– 14, परवाना नगर, उज्जैन (म.प्र.)

(G-257)

उपनाम परिवर्तन

मैं, मनोज साहनी (MANOJ SAHNI) आत्मज श्री रामदेव साहनी, निवासी– 201. एम– ब्लाक एल. आई.जी., गौरव नगर चीचली, बैरागढ़ कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम मनोज साहनी (MANOJ SAHNI) आत्मज श्री रामदेव साहनी है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है. मैं, वर्तमान में इसी नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, परन्तु मेरा पूर्व नाम मनोज कुमार (MANOJ KUMAR) आत्मज श्री रामदेव भी है, जो कि मेरी बोर्ड कक्षा 10वी एवं कक्षा 12वी की अंकसूचियो में अंकित है. उक्त दोनो नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मनोज साहनी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मनोज कुमार)
(MANOJ KUMAR)

नया नाम

(मनोज साहनी)
(MANOJ SAHNI).

(G-258)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम तेजेश कावडें पिता लखन कावडें (TEJESH KAWDE S/o. LAKHAN KAWDE), निवासी– ए.एन. 97, कोलार रोड़, राजहर्ष बस्ती, नयापुरा, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड व जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश नाम तेजस्वर कावड़े पिता लखन लाल कावड़े (TEJASHWAR KAWDE S/o. LAKHAN LAL KAWDE) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का वास्तविक सही नाम उसके शैक्षाणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम तेजेश कावडें पिता लखन कावडें (TEJESH KAWDE S/o. LAKHAN KAWDE) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(लखन कावडें)
पिता– आत्माराम कावडें.

(G-259)

नाम परिवर्तन

मैं, खडक सिंह आत्मज श्री जयराम सिंह, निवासी– कवीरपुरा, वार्ड नं. 01, राघोगढ़, गुना (म.प्र.). मेरी पुत्री माही मोगिया जिसका जन्म प्रमाण–पत्र में माही मोगिया दर्ज है, जो कि भूलवश अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में माया मोगिया दर्ज हो गया है, जिसे में परिवर्तित कर माही मोगिया पुत्री श्री खडक सिंह कराना चाहता हूँ, अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को माही मोगिया पुत्री श्री खडक सिंह के नाम से जाना–पहचाना तथा समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(खडक सिंह)

आत्मज– श्री जयराम सिंह.

(G-260)

नाम परिवर्तन

मैं, श्री राकेश कुमार पाण्डेय पुत्र श्री आर. पी. पाण्डेय, निवासी– MIG 24, धनवंत्री नगर, गृह पढुवा, जबलपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश राम पांडे (RAM PANDEY) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में ऋषभ पाण्डेय (RISHABH PANDEY) अंकित है, जो कि सत्य है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में इसी नाम से जाना–पहचाना एवं पढ़ा–लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(राम पांडे)

(RAM PANDEY)

नया नाम

(ऋषभ पाण्डेय)

(RISHABH PANDEY)

पुत्र– श्री राकेश कुमार पाण्डेय.

(G-261)

CHANGE OF NAME

I, GEETA SHARMA Here by declare that I have changed my name as GEETA SONI W/o. AJAY SHARMA. So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant

(GEETA SONI)

W/o. AJAY SHARMA

ADD- 45, TRILOK NAGAR, WARD NO.6,

ITAWA, DEWAS (M.P.).

(G-262)

CHANGE OF NAME

I, ASHWINI GOSWAMI Here by declare that I have changed my name as ASHWINI RAWAT W/o. SHIVRAM RAWAT. So, from now and in future I will be known by my new name.

Applicant

(ASHWINI RAWAT)

W/o. SHIVRAM RAWAT

ADD- EK-381, FIRST FLOOR SCHEME,

NO. 54, VIJAYNAGAR, INDORE, (M.P.).

(G-263)

नाम परिवर्तन

मेरी पत्नी का सही नाम आशा देवी है, यही नाम उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावजों में दर्ज है, जबकि मेरे पीपीओ (पेंशन पेमेंट आर्डर) में मेरा नाम लाल सिंह एवं मेरी पत्नी का नाम विमला (VIMLA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पीपीओ (पेंशन पेमेंट आर्डर) में मेरा नाम लाल सिंह के स्थान पर लाल सिंह सेंगर एवं मेरी पत्नी का नाम विमला (VIMLA) के स्थान पर आशा देवी (ASHA DEVI) दर्ज किया जावे एवं भविष्य में समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(लाल सिंह सेंगर)

पुत्र– स्वं. श्री गम्भीर सिंह सेंगर

निवासी– चन्दनपुरा, बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-264)

उपनाम परिवर्तन

मेरे कक्षा 10 वीं की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश स्वर्ण शेखर (SWARNA SHEKHAR) दर्ज हो गया है. जिसमें मेरा उपनाम सिन्हा (SINHA) दर्ज नहीं है. मेरे अन्य सभी दस्तावेजो में मेरा नाम स्वर्ण शेखर सिन्हा (SWARN SHEKHAR SINHA) पिता सत्येन्द्र कुमार सिन्हा अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मुझे स्वर्ण शेखर सिन्हा (SWARN SHEKHAR SINHA) पिता सत्येन्द्र कुमार सिन्हा (SATYENDRA KUMAR SINHA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(स्वर्ण शेखर)	**(स्वर्ण शेखर सिन्हा)**
(SWARNA SHEKHAR)	**(SWARN SHEKHAR SINHA)**
	निवासी– 988–C, सुखलिया, इंदौर (म.प्र.).

(G-265)

नाम परिवर्तन

मैं, कमल बाई पति नारायण सिंह, निवासी– 6/42 एल, गैस राहत कालोनी, करोंद, तहसील हुजुर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश कमला बाई रैकवार (Kamla Bai Raikwar) पति नारायण (Narayan) दर्ज हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम कमल बाई (KAMAL BAI) पति नारायण सिंह (NARAYAN SINGH) है जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड एवं मेरे सर्विस आई.डी. कार्ड में दर्ज हैं. जिसे मैं, अपने आधार कार्ड/शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. यह कि कमल बाई (KAMAL BAI) पति नारायण सिंह (NARAYAN SINGH) व कमला बाई रैकवार (Kamla Bai Raikwar) पति नारायण (Narayan) दोनों नाम एक ही महिला अर्थात् मेरे ही है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे कमल बाई (KAMAL BAI) पति नारायण सिंह (NARAYAN SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमला बाई रैकवार)	**(कमल बाई)**
(Kamla Bai Raikwar)	**(KAMAL BAI)**
पति– नारायण	पति– नारायण सिंह
(NARAYAN)	**(NARAYAN SINGH).**

(G-266)

नाम परिवर्तन

मैं, सम्यक सिंह चौहान पिता अजय सिंह चौहान, निवासी– प्लाट नं. 78, म.नं. 103, रानीताल, कस्तूरबा गांधी वार्ड, जबलपुर (म.प्र.). मेरे द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, मंडला रोड, नीमखेड़ा, जबलपुर (म.प्र.). मेरी दसवीं की अंकसूची में मेरे पिता पिता का नाम त्रुटिवश जितेन्द्र सिंह चौहान एवं मेरा नाम सम्यक चौहान दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पिता का सही नाम अजय सिंह चौहान एवं मेरा नाम सम्यक सिंह चौहान है, जो कि आधार कार्ड एवं समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. मेरी दसवीं की अंकसूची में मेरे पिता का नाम सुधार कर अजय सिंह चौहान एवं मेरा नाम सम्यक सिंह चौहान दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

आवेदक

(सम्यक सिंह चौहान)
पिता– अजय सिंह चौहान.

(G-267)

नाम परिवर्तन

मैं, अरविन्द कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शिव सागर पाण्डेय, निवासी– जे.एल. 935, कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री प्रेरणा पाण्डेय एवं पुत्र रूद्रनारायण पाण्डेय के जन्म प्रमाण–पत्र में एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा और मेरी पत्नी का नाम में त्रुटिवश अरविन्द पाण्डेय (Arvind pandey) एवं पत्नी का प्रीति पाण्डेय (Priti Pandey) अंकित हो गया है. जबकि मेरा और मेरी पत्नी का सही नाम अरविन्द कुमार पाण्डेय (Arvind kumar pandey) एवं पत्नी प्रीति पाण्डेय (Preeti pandey) है. जो कि सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मान्य रहेगा.

आवेदक

(अरविन्द कुमार).

(G-268)

नाम परिवर्तन

मैं, गौरी बाई पत्नी श्री भगवान सिंह, निवासी– वार्ड क. 14, राहुल नगर, मण्डीदीप, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरा वास्तविक नाम गौरी बाई (Gauri Bai) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम आरती यादव (Arti Yadav) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अब मेरा वास्तविक नाम गौरी बाई (Gauri Bai) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(गौरी बाई)
(Gauri Bai).

(G-269)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कुंवर राज जाटव (KUNWAR RAJ JATAV) जो कि गलत है, जिसे बदलकर मैंने अपना सही नाम कुमार राज जाटव (KUMAR RAJ JATAV) रख लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये सही नाम कुमार राज जाटव (KUMAR RAJ JATAV) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(कुंवर राज जाटव)
(KUNWAR RAJ JATAV)

नया नाम

(कुमार राज जाटव)
(KUMAR RAJ JATAV)
आत्मज श्री पप्पू जाटव
पता– धुरवर कलां, एसागढ, अशोक नगर (म.प्र.).

(G-270)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मंताशा मंसूरी पत्नी हन्नान खान (MANTASHA MANSOORI W/o. HANNAN KHAN), निवासी– ह.नं. 3/4, पीजीबीटी कॉलेज फिरदोस नगर, बेरासिया रोड़, जी.पी, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मंताशा खान पत्नि श्री हन्नान खान (MANTASHA KHAN W/o. HANNAN KHAN) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है मेरा वास्तविक सही नाम मेरे शैक्षाणिक दस्तावेज में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम मंताशा मंसूरी पत्नी हन्नान खान (MANTASHA MANSOORI W/o. HANNAN KHAN) के नाम से जाना–पहचाना व पढ़ा जावें.

पुराना नाम
(मंताशा खान)

नया नाम
(मंताशा मंसूरी)
(MANTASHA MANSOORI)
पत्नी– हन्नान खान
W/o. HANNAN KHAN.

(G-271)

नाम परिवर्तन

मैं, निखत अलताफ पति अल्ताफ मोहम्मद, निवासी– म.नं. 876/1, बड़ी ओमती रोड, रियाज होटल जबलपुर (म.प्र.). मेरा विवाह इस्लाम धर्म के अनुसार अल्ताफ मोहम्मद पिता हाजी रियाज मोहम्मद के साथ संपन्न हुआ है. विवाह के पूर्व मेरा नाम दिव्या विश्वकर्मा पिता दीप चंद विश्वकर्मा था. जबकि अब मेरा विवाह हो जाने के बाद मेरा विवाह पश्चात् परिवर्तित नया नाम निखत अलताफ (NIKHAT ALTAF) पति अल्ताफ मोहम्मद (ALTAF MOHAMMED) हो चुका है, जो कि मेरे दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त अब मुझे मेरे नये नाम निखत अलताफ से ही लिखा–पढ़ा, जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(दिव्या विश्वकर्मा)
(DIVYA VISHWAKARMA)

नया नाम
(निखत अलताफ)
(NIKHAT ALTAF)

(G-272)

नाम परिवर्तन

मेरे नाम का उल्लेख मेरे विभिन्न शासकीय, शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों में भिन्न–भिन्न रूपों में किया गया है, 10वीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम संदीप कुमार अंकित है. 12वीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम संदीप अंकित है. सेंट्रल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंदौर (RGPV यूनिवर्सिटी, भोपाल) से डिप्लोमा फार्मेसी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की अंकसूचियों में मेरा नाम संदीप अंकित है. विद्यालय छोड़ प्रमाण–पत्र (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) एवं विद्यालय अभिलेखों में मेरा नाम संदीप अंकित है. देवास एवं चौबारा धीरा के समस्त राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा अंकित है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संदीप वर्मा अंकित है. मेरा वास्तविक एवं सही नाम "संदीप वर्मा "(Sandeep Verma)" है, जो मेरे आधार कार्ड एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम भविष्य में समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अन्य सभी अभिलेखों/आदेशकीय दस्तावेजों में संदीप वर्मा के नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे

प्रार्थी
(संदीप वर्मा)
पिता– श्री गोकुल प्रसाद वर्मा
निवासी– चौबराधीरा, तहसील टोंकखुर्द,
जिला देवास (म.प्र.).

(G-273)

नाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम अशोक कुमार था, को परिवर्तित कर मेरा नया नाम गंगा प्रसाद (Ganga Prasad) पिता श्री रामअधार हो गया है. इससे पूर्व मुझे अशोक कुमार के नाम से जाना और पहचाना जाता था अब मेरा नया नाम गंगा प्रसाद (Ganga Prasad) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम अशोक कुमार लिखा है उसके स्थान पर नया नाम गंगा प्रसाद (Ganga Prasad) लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(अशोक कुमार)
(ASHOK KUMAR)

नया नाम
(गंगा प्रसाद)
(GANGA PRASAD).

(G-274)

नाम परिवर्तन

मैं, देवी सिंह राजपूत, निवासी– क्वॉर्टर नं. टाइप 2, 176, जीसी सीआरपीएफ, बंगरसीया, भोजपुर रोड, दीपडी, मंडीदीप, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश Tejashwini Rajput दर्ज हो गया है, जो कि गलत हैं. मेरी पुत्री का वास्तविक सही नाम तेजस्वी राजपूत (TEJASWI RAJPUT) पिता देवी सिंह राजपूत (DEVI SINGH RAJPUT) है, जो कि मेरी पुत्री के शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मैं, अपनी पुत्री के शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को तेजस्वी राजपूत (TEJASWI RAJPUT) पिता देवी सिंह राजपूत (DEVI SINGH RAJPUT) के नाम से जाना–पहचाना, व लिखा–पढ़ा जावे.

आवेदक

(देवी सिंह राजपूत).

(DEVI SINGH RAJPUT).

(G-275)

नाम परिवर्तन

मैं, सुशीला श्रीवास पत्नी विद्यानंद श्रीवास (Sushila Shrivas W/o. Vidyanand Shrivas), निवासी– गौरेया मोहल्ला, हरदौल मंदिर के पास, वार्ड नं. 10, मुखर्जी वार्ड, सिहोरा, तहसील सिहोरा, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा एवं मेरे पति का नाम उर्मिला एवं विद्या चंद (Urmila & Vidya Chand) गलत दर्ज हो गया है. मेरा एवं मेरे पति का सही नाम सुशीला श्रीवास एवं विद्यानंद श्रीवास (Sushila Shrivas & Vidyanand Shrivas) है, जो मेरे एवं मेरे पति के स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, समग्र परिवार आई. डी., राशन कार्ड एवं मेरी पुत्री की 10वीं की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा एवं मेरे पति का नाम सुशीला श्रीवास एवं विद्यानंद श्रीवास (Sushila Shrivas & Vidyanand Shrivas) दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(सुशीला श्रीवास)

(SUSHILA SHRIVAS).

(G-276)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम उदय सिह मीना पिता श्री रामनारायण मीना, निवासी– म.नं. 72, ग्राम दिरोली, मकसूदगढ, गुना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम उदय सिंह मैना पिता श्री रामनारायण मैना (UDAY SINGH MAINA S/o. RAMNARAYAN MAINA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम उदय सिंह मीना पिता श्री रामनायण मीना (UDAY SINGH MEENA S/o. RAMNARAYAN MEENA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उदय सिंह मैना)	(उदय सिंह मीना)
(UDAY SINGH MAINA)	**(UDAY SINGH MEENA)**
पिता– श्री रामनारायण मैना	पिता– श्री रामनारायण मीना
S/o. RAMNARAYAN MEENA	S/o. RAMNARAYAN MEENA

(G-277)

नाम परिवर्तन

मैं, आकांक्षा विश्वकर्मा (AKANSHA VISHWAKARMA) पिता श्री गिरजाशंकर विश्वकर्मा (GIRJASHANKAR VISHWAKARMA), निवासी– 93, अमृत इन्क्लेव अयोध्या नगर, अयोध्या बायपास, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम आकांश विश्वकर्मा (AKANSH VISHWAKARMA) पिता श्री गिरजाशंकर विश्वकर्मा (GIRJASHANKAR VISHWAKARMA) दर्ज है, मेरे अन्य सभी दस्तोवजों में मेरा नाम आकांक्षा विश्वकर्मा (AKANSHA VISHWAKARMA) पिता श्री गिरजाशंकर विश्वकर्मा (GIRJASHANKAR VISHWAKARMA) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम आकांश विश्वकर्मा (AKANSH VISHWAKARMA) पिता श्री गिरजाशंकर विश्वकर्मा (GIRJASHANKAR VISHWAKARMA) दर्ज है उसके स्थान पर आकांक्षा विश्वकर्मा (AKANSHA VISHWAKARMA) पिता श्री गिरजाशंकर विश्वकर्मा (GIRJASHANKAR VISHWAKARMA) लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आकांश विश्वकर्मा)	**(आकांक्षा विश्वकर्मा)**
(AKANSH VISHWAKARMA)	**(AKANSHA VISHWAKARMA)**
	पिता– श्री गिरजाशंकर विश्वकर्मा
(G-278)	(GIRJASHANKAR VISHWAKARMA)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार पिता श्री छकौड़ी लाल, पता– नन्हवारा खुर्द, तह. बड़वारा, जिला कटनी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश उषा बाई अंकित हो गया है. जो कि गलत है. मेरा वास्तविक नाम अनिल कुमार है, जो कि मेरे अंकसूची एवं अन्य दस्तावेजों में भी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे नाम अनिल कुमार के नाम से ही जाना–पहचाना, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(उषा बाई)	**(अनिल कुमार)**
(G-279)	पिता– श्री छकौड़ी लाल.

नाम परिवर्तन

मैं, नितिन कुमार राय आत्मज श्री नाथूराम राय, निवासी– वार्ड 04, पचमढ़ी रोड पिपरिया, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में नाम नितिन कुमार राय अंग्रेजी में Nitin Kumar Rai दर्ज है, जबकि मेरी अंकसूचियों में मेरे नाम की अंग्रेजी में स्पैलिंग Nitin Kumar Ray दर्ज है, जिसे सुधार कर Nitin Kumar Rai दर्ज किया जावे, अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(Nitin Kumar Ray)	**(नितिन कुमार राय)**
(G-280)	**(Nitin Kumar Rai).**

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पा अग्रवाल पत्नी श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल, निवासी– मेन रोड कुरावर मंडी, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड एवं एक विक्रय पत्र में नाम अंजु देवी दर्ज है, जबकि अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम पुष्पा अग्रवाल पत्नी श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल दर्ज है. पुष्पा अग्रवाल एवं अंजु देवी दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम अंजु देवी से परिवर्तित कर पुष्पा अग्रवाल दर्ज किया जावे

पुराना नाम	नया नाम
(अंजु देवी)	**(पुष्पा अग्रवाल)**
पत्नी– श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल.	पत्नी– श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल.
(G-281)	

नाम परिवर्तन

मैं, घनश्याम (Ghanshyam) पुत्र श्री मानसिंह, जाति आदिवासी, निवासी– ग्राम रजाखेड़ी, पोस्ट उनारसीताल, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र). मेरे आधार कार्ड मे त्रुटिवश मेरा नाम राघवेन्द्र सिंह (Raghvendra singh) अंकित हो गया है. मेरा सही नाम घनश्याम (Ghanshyam) है, जो कि मेरे पहचान–पत्र एवं सम्रग आई.डी. एवं मूल निवासी में मेरा सही नाम घनश्याम (Ghanshyam) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे वास्तविक व सही नाम घनश्याम (Ghanshyam) के नाम से जाना–पहचना एवं सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों मे लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राघवेन्द्र सिंह)	(घनश्याम)
(Raghvendra singh)	**(Ghanshyam).**

(G-282)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रशांत कुमार जैन आत्मज श्री सुशील कुमार जैन, निवासी– गोपालगंज, जिला सागर (म.प्र.). मेरी पुत्री नाम प्रेक्षा जैन है. मैं, अपनी पुत्री का नाम बदलकर जीवांशी जैन कराना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को जीवांशी जैन के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं सम्बोधित किया जाए तथा जन्म प्रमाण, समग्र आईडी, आधार कार्ड, अंकसूची, निवास प्रमाण–पत्र अन्य शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रशांत कुमार जैन)

आत्मज– श्री सुशील कुमार जैन.

(G-283)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम अंश कुमार तिवारी पिता श्री कृष्णपाल तिवारी (ANSH KUMAR TIWARI S/o. KRISHNA PAL TIWARI), निवासी– ग्राम सहुआर, पोस्ट जियावन, सिंगरौली (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम विश्व तिवारी पिता कृष्णपाल तिवारी (VISHV TIWARI S/o. KRISHNAPAL TIWARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का नाम अंश कुमार तिवारी पिता श्री कृष्णपाल तिवारी (ANSH KUMAR TIWARI S/o. KRISHNAPAL TIWARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कृष्णपाल तिवारी)

पिता– उमेश कुमार तिवारी

(G-284)

नाम परिवर्तन

मैं, कश्यप उपाध्याय पिता श्री राकेश उपाध्याय, निवासी– भोगद्वार हनुमान मंदिर के पीछे, पोस्ट टेमर भीटा, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कशिश उपाध्याय दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम कश्यप उपाध्याय पिता श्री राकेश उपाध्याय है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय दस्तावेजों में कश्यप उपाध्याय पिता श्री राकेश उपाध्याय के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कशिश उपाध्याय)	**(कश्यप उपाध्याय)**

(G-285)

पिता– श्री राकेश उपाध्याय.

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश कुमार चौरसिया आत्मज श्री भोले प्रसाद चौरसिया, निवासी– प्लॉट नं. 24, कटारा बायपास, नियर बिजासेन माता मंदिर, झागरिया खुर्द, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश समर चौरसिया (SAMAR CHAURASIA) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि उसके जन्म प्रमाण–पत्र में समर्थ चौरसिया (SAMARTH CHOURASIA) नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः राजपत्र प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय समस्त दस्तावेजों में समर्थ चौरसिया (SAMARTH CHOURASIA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दिनेश कुमार चौरसिया)
आत्मज– श्री भोले प्रसाद चौरसिया.

(G-286)

नाम परिवर्तन

मैं, भानुमती देवी पति स्व. श्री रामसिया कुशवाहा, निवासी– बरहा टोला, ग्राम टीकर, पो. सुपिया थाना, गोविंदगढ, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम मनवती कुशवाहा अंकित है, जो कि त्रुटिवश अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम "भानुमती देवी" (BHANUMATI DEVI) है, जो कि मेरे पति के बिजली विभाग के सर्विस रिकार्ड व परिचय–पत्र एवं अन्य दस्तावेजो में भी अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मनवती कुशवाहा के स्थान पर सही नाम भानुमती देवी (BHANUMATI DEVI) के नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मनवती कुशवाहा)

नया नाम

(भानुमती देवी)
(BHANUMATI DEVI).

(G-287)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अनुसया मेश्राम पत्नी श्री मोतीराम मेश्राम, निवासी– एच–51, शांता कुंज फेस–1, सिद्धार्थ नगर, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनुराधा मेशराम (Anuradha Meshram) पत्नी श्री मोतीराम मेश्राम दर्ज है. जो कि गलत है, मेरा सही नाम अनुसया मेश्राम (Anusya Meshram) पत्नी मोतीराम मेश्राम (Motiram Meshram) है, एवं मेरे मध्यप्रदेश राज्य पेंशनर परिचय–पत्र, राशन कार्ड एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे सही नाम अनुसया मेश्राम (Anusya Meshram) पत्नी मोतीराम मेश्राम (Motiram Meshram) के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अनुराधा मेशराम)
(Anuradha Meshram)

नया नाम

(अनुसया मेश्राम)
(Anusya Meshram)
पत्नी– मोतीराम मेश्राम
(Motiram Meshram).

(G-288)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती प्रीती सातल पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी, निवासी–ग्राम–बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम. मेरी शादी से पूर्व नाम पुष्पा माहेश्वरी पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी था. शादी के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर श्रीमती प्रीती सातल (PREETI SATAL) पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी कर लिया गया है. मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में भी सही नाम श्रीमती प्रीती सातल (PREETI SATAL) पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, व्यक्तिगत और समस्त बैंक खातों, चल–अचल संपत्ती में प्रीती सातल (PREETI SATAL) पुत्री श्री नारायण दास माहेश्वरी नाम से ही जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पुष्पा माहेश्वरी)

नया नाम

(प्रीति सातल)
(PREETI SATAL).

(G-289)

आम सूचना

Shri Krishna Dham Developers, पता– 51, Mall Road Cantt, सागर– 470002 पंजीयत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्टार फर्म एवं सोसायटी सागर (म.प्र.) द्वारा पंजीयन क्रमांक 06–09–01–0080–25, दिनांक 29 सितम्बर 2025 को किया गया एवं इस फर्म का भागीदारी विलेख दिनांक 02 अगस्त 2021 को लिखा गया जिसके अनुसार फर्म के निम्नांकित पार्टनर थे– 1. Shri Sanjeev Jadiya, 2. Shri Manak Ahirwar, 3. Shri Chandra Prakash Sharma, 4. Shri Rajesh Kewat. उपरोक्त इस फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर फर्म को पुनः पुनर्गठित करने की कार्यवाही की जा रही है. जिसमें कि दिनांक 08 अगस्त 2025 को भागीदार 1. Shri Manak Ahirwar, 2. Shri Chandra Prakash Sharma, 3. Shri Rajesh Kewat फर्म से स्वेच्छा से प्रथक् हो गए हैं व 1. Shri Kunal Sharma, 2. Shri Manjeet Singh Yadav फर्म के नए पार्टनर बन गए हैं. जिसके अनुसार दिनांक 08 अगस्त 2025 से निम्नांकित भागीदार रहेंगे. 1. Shri Sanjeev Jadiya 2. Shri Kunal Sharma, 3. Shri Manjeet Singh Yadav व फर्म का नवीन पता– 02 Gulab Colony, Shivaji Ward, Sagar, Madhya Pradesh पिन–474002, दिनांक 08 अगस्त 2025 से परिवर्तित हो गया है.

Shri Krishna Dham Developers

Krishna Dham
(भागीदार).

(G-290)

उपनाम परिवर्तन

मैं, शिप्रा श्रीवास्तव (SHIPRA SHRIVASTAVA) पति पराग कुमार श्रीवास्तव, निवासी–हाउस नं. 05, गली नं. 01, रेतघाट तलैया, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम विवाह पूर्व शिप्रा खरे (SHIPRA KHARE) पिता बी.पी. खरे था, किन्तु विवाह उपरान्त मेरा नाम शिप्रा श्रीवास्तव (SHIPRA SHRIVASTAVA) पति पराग कुमार श्रीवास्तव हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा नया नाम शिप्रा श्रीवास्तव (SHIPRA SHRIVASTAVA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शिप्रा खरे)
(SHIPRA KHARE)

नया नाम

(शिप्रा श्रीवास्तव)
(SHIPRA SHRIVASTAVA).

(G-291)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम अनीता (ANEETA) पिता बलवीर है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम नगीता (NAGITA) पिता बलवीर दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का नाम अनीता (ANEETA) पिता बलवीर है जो उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम अनीता (ANEETA) पिता बलवीर से जाना–पहचाना व लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बलवीर)

पता– वार्ड नं.01, ग्राम टुन्डीला,
तहसील गोहद, जिला भिंड (म.प्र.).

(G-292)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम उन्नति तवर (UNNATI TAWAR) पिता संदीप कुमार तवर है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम अवनी तवर (AVANI TAWAR) पिता संदीप कुमार तवर दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय / व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम उन्नति तवर (UNNATI TAWAR) पिता संदीप कुमार तवर के नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(संदीप कुमार तवर)

पता– ग्राम व पोस्ट बाबडीया भाऊ, वार्ड नं. 20
तह. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).

(G-293)

आम सूचना

फर्म मे. शिव कुमार ताम्रकार कांट्रेक्टर, पता–पुराना बाजार नं. 1, कोतवाली के पास दमोह (म.प्र.) 470661 पंजीयत फर्म जिसका पंजीयन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं सागर द्वारा पंजीयन क्रमांक 06–10–01–00002–08, दिनांक 01 अप्रैल 2008 को किया गया था, संशोधित भागीदारीनामा दिनांक 01 जनवरी 2020 अनुसार फर्म में निम्नाकित पार्टनर थे 1. SHRI SHIV KUMAR TAMRAKAR, 2. SHRI ALOK SHRIVASTAVA, 3. SMT. ANITA TAMRAKAR, 4. SHRI ASHUTOSH TAMRAKAR, 5. SHRI ASHWANI TAMRAKAR जिसमें से दिनांक 05 दिसम्बर 2025 को भागीदार SHRI SHIV KUMAR TAMRAKAR स्वेच्छा से फर्म से रिटायर हो गए हैं व SHRI ANSHUMAN TAMRAKAR फर्म में नए भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. अतः वर्तमान में दिनांक 05 दिसम्बर 2025 से फर्म में कुल 5 भागीदार हैं. 1. SHRI ALOK SHRIVASTAVA, 2. SMT. ANITA TAMRAKAR, 3. SHRI ASHUTOSH TAMRAKAR, 4. SHRI. ASHWANI TAMRAKAR, 5. SHRI. ANSHUMAN TAMRAKAR.

मे. शिव कुमार ताम्रकार कांट्रेक्टर,

ALOK SHRIVASTAVA
(भागीदार).

(G-294)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश ब्रीशा यादव (BRISHA YADAV) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जिसे सुधारकर मैंने मेरा नाम वृसिया यादव (VRISIA YADAV) पति राम नरेश यादव रख लिया है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में नये नाम वृसिया यादव (VRISIA YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ब्रीशा यादव)	**(वृसिया यादव)**
(BRISHA YADAV)	**(VRISIA YADAV)**
	पति– राम नरेश यादव.
	निवासी– आर्मी स्कूल गेट नं.02 के सामने मुरार,
(G-295)	गिर्द मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम बी रोहित राव (B ROHIT RAO) पिता बी आनंद राव (B ANAND RAO), निवासी– H 74 आधारशिला, बरखेड़ा पठानी, अवधपुरी हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बेरी रोहित राव (BARRI ROHIT RAO) पिता बेरी आनंद राव (BARRI ANAND RAO) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम बी रोहित राव (B ROHIT RAO) पिता बी आनंद राव (B ANAND RAO) है. अतः प्रकाशन उपरान्त अपने सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम बी रोहित राव (B ROHIT RAO) पिता बी आनंद राव (B ANAND RAO) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बेरी रोहित राव)	**(बी रोहित राव)**
(BARRI ROHIT RAO)	**(B ROHIT RAO)**
पिता– बेरी आनंद राव	पिता– बी आनंद राव
S/o. BARRI ANAND RAO	S/o. B ANAND RAO.
(G-296)	

नाम परिवर्तन

मैं, भवन लाल पंचेश्वर पिता श्री देवन लाल पंचेश्वर, निवासी– वार्ड नं. 07, ग्राम कुमादेही, कुमादेही, कलेगांव बैहर बालाघाट (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम भुवन लाल पिता श्री देवन लाल (BHUVAN LAL S/o. DEVAN LAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम भवन लाल पंचेश्वर पिता श्री देवन लाल पंचेश्वर (BHAWAN LAL PANCHESWAR S/o. DEVAN LAL PANCHESWAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भुवन लाल)	**(भवन लाल पंचेश्वर)**
(BHUVAN LAL)	**(BHAWAN LAL PANCHESWAR)**
पिता– श्री देवन लाल	पिता– श्री देवन लाल पंचेश्वर
S/o. DEVAN LAL	(S/o. DEVAN LAL PANCHESWAR).
(G-297)	

नाम परिवर्तन

मेरा नाम महेन्द्र सिंह साबनेर पिता श्री सुरेश सिंह साबनेर, निवासी– ग्राम जिजगांव कलां, पोस्ट चारखेडा, जिजगांवकला, टिमरनी, हरंदा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राम पिता श्री महेन्द्र (RAM S/o. MAHENDRA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम कीर्तन सिंह साबनेर पिता श्री महेंद्र सिंह साबनेर (KIRTAN SINGH SABNER S/o. MAGENDRA SINGH SABNER) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेन्द्र सिंह साबनेर)

पिता– श्री सुरेश सिंह साबनेर.

(G-298)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सावल सिंह चारण पुत्र जादम (Sawal Singh Charan S/o. Jadam), निवासी– ग्राम किशनपुरीया, पोस्ट चाटूखेडा, तहसील राजगढ़, किशनपुरीया, राजगढ़, चतुखेदा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम श्यामलाल पुत्र जादम (Shyamlal S/o. Jadam) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम राजस्व दस्तावेजों एवं मेरे पुत्र की शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सावल सिंह चारण पुत्र जादम (Sawal Singh Charan S/o. Jadam) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(श्यामलाल)	**(सावल सिंह चारण)**
(Shyamlal)	**(Sawal Singh Charan)**
	पुत्र– जादम
	(S/o. Jadam).

(G-299)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम अंश कुमार पाण्डेय पिता श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डेय, निवासी– वार्ड नं. 07, हनुमान मंदिर के पास, ग्राम धोबहट, पोस्ट मुकुन्दपुर, तहसील अमरपाटन, जिला मैहर (म.प्र.). मेरी 10वीं तथा 12वीं की अंकसूची में मेरे पिता का नाम नागेन्द्र पाण्डेय (NAGENDRA PANDEY) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पिता का सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, तथा पैन कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पिता का नाम नागेन्द्र कुमार पाण्डेय (NAGENDRA KUMAR PANDEY) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नागेन्द्र पाण्डेय)	**(नागेन्द्र कुमार पाण्डेय)**
(NAGENDRA PANDEY)	**(NAGENDRA KUMAR PANDEY).**

(G-300)

CHANGE OF NAME

This is to inform the general public that I, G. K. Deshmukh, S/o. Yadavrao Deshmukh, Residing at A-68, Old Minal Residency, J.K. Road, Bhopal (M.P.), have been known by the name G. K. Deshmukh in all my previous records and official documents. I, have now changed my name to Gunwant Kumar Deshmukh, S/o. Yadavrao Deshmukh and henceforth I, shall be known and recognized by my new name Gunwant Kumar Deshmukh for all official and legal purposes.

Applicant

(G. K. Deshmukh)

S/o. Yadav Rao Deshmukh.

(G-301)

उपनाम परिवर्तन

मैं, रविना बाई जांगडे, मेरे दस्तावेजों में मेरा उपनाम जांगड़े दर्ज है. मेरे पति के शैक्षणिक दस्तावेजों में निर्मल शर्मा दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे पति निर्मल शर्मा के नाम में जो उपनाम शर्मा दर्ज है, उसी उपनाम शर्मा को मेरे नाम रविना के साथ रविना शर्मा मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रविना बाई जांगड़े)	**(रविना शर्मा)**
(RAVINA BAI JANGDE)	**(RAVINA SHARMA).**

(G-302)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम गजरूप पुत्र सोनई कोरी (Gajrup S/o. Sonai Kori), निवासी– ग्राम–अमदरी, अमदरी अम्दारी, अनूपपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गजरूप सिंह पुत्र मंधू (Gajrup Singh S/o. Mandhu) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम गजरूप पुत्र सोनई कोरी (Gajrup S/o. Sonai Kori) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गजरूप सिंह)	**(गजरूप)**
(Gajrup Singh)	**(Gajrup)**
पुत्र– मंधू	पुत्र– सोनई कोरी
(S/o. Mandhu)	(S/o. Sonai Kori).

(G-303)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सौरभ श्रीवास पुत्र रेखा श्रीवास (SAURABH SHRIVAS S/o. REKHA SHRIVAS), निवासी– 257/3, सुंदर नगर, जीतू किराना दुकान, इंदौर (म.प्र.). मेरे दस्तावेजों में मेरी माँ का नाम त्रुटिवश सौरभ श्रीवास पुत्र माया श्रीवास (SAURABH SHRIVAS S/o. MAYA SHRIVAS) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सौरभ श्रीवास पुत्र रेखा श्रीवास (SAURABH SHRIVAS S/o. REKHA SHRIVAS) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सौरभ श्रीवास)	**(सौरभ श्रीवास)**
(SAURABH SHRIVAS)	**(SAURABH SHRIVASH)**
पुत्र– माया श्रीवास	पुत्र– रेखा श्रीवास
(S/o. MAYA SHRIVAS)	(S/o. REKHA SHRIVAS).

(G-304)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम भीम सिंह पिता हनुमत सिंह (BHEEM SINGH S/o. HANUMAT SINGH), निवासी– पोस्ट सेमरी कला, तहसील बाड़ी, पोस्ट सेमरी कला, सेमरीकलां, सुल्तानपुर, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भीमा नायक पिता हनुमत सिंह नायक (BHIMA NAYAK S/o. HANUMAT SINGH NAYAK) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं जन्म प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम भीम सिंह पिता हनुमत सिंह (BHEEM SINGH S/o. HANUMAT SINGH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(भीमा नायक)	**(भीम सिंह)**
(BHIMA NAYAK)	**(BHEEM SINGH)**
पिता– हनुमत सिंह नायक	पिता– हनुमत सिंह
(S/o. HANUMANT SINGH NAYAK)	(S/o. HANUMAT SINGH).

(G-305)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कैलाशी देवी पत्नी भोला महतो (KAILASHI DEVI W/o. BHOLA MAHTO), निवासी– 53, ओमेगा फैक्ट्री एरिया, पिपलानी, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कैलाश देवी पत्नी भोला मोहतो (KAILASH DEVI W/o. BHOLA MOHATTO) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मतदाता पहचान–पत्र व राशन कार्ड में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा नाम कैलाशी देवी पत्नी भोला महतो (KAILASHI DEVI W/o. BHOLA MAHTO) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कैलाश देवी)	**(कैलाशी देवी)**
(KAILASH DEVI)	**(KAILASHI DEVI)**
पत्नी– भोला मोहतो	पत्नी– भोला महतो
(W/o. BHOLA MEHATTO)	(W/o. BHOLA MAHTO).

(G-306)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम मंजू मरकाम (MANJU MARKAM) पिता अशोक कुमार मरकाम (ASHOK KUMAR MARKAM) हैं. मेरी पुत्री का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश संजना पिता अशोक कुमार मरकाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को मंजू मरकाम (MANJU MARKAM) पिता अशोक कुमार मरकाम (ASHOK KUMAR MARKAM) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(अशोक कुमार मरकाम)
पता– म.नं. 35, वार्ड नं. 03, तहसील टिमरनी,
पोस्ट रहटगांव, जिला हरदा (म.प्र.).

(G-307)

नाम परिवर्तन

मैं, रेणुका आठनेरे पत्नी स्व. श्री बालकृष्ण आठनेरे, निवासी– वार्ड 12, शारदा कॉलोनी, जिला होशंगाबाद (नर्मदापुरम) (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में दिव्य आठनेरे पिता बालकृष्ण आठनेरे दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम रुद्राक्ष आठनेरे (RUDRAKSH AATHNERE) पिता बालकृष्ण आठनेरे (BALKRISHNA AATHNERE) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्राक्ष आठनेरे (RUDRAKSH AATHNERE) पिता बालकृष्ण आठनेरे (BALKRISHNA AATHNERE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बालकृष्ण आठनेरे)

(BALKRISHNA AATHNERE).

(G-308)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अमित सिरसाम (AMIT SIRSAM) पिता निरंजन सिरसाम (NIRANJAN SIRSAM) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अमीद पिता निरंजन सिरसाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमित सिरसाम (AMIT SIRSAM) पिता निरंजन सिरसाम (NIRANJAN SIRSAM) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(निरंजन सिरसाम)

(NIRANJAN SIRSAM).

(G-309)

नाम परिवर्तन

मैं, राकेश सोनवंशी पिता सुंदरलाल सोनवंशी, निवासी– वार्ड नं 9, तहसील पिपरिया, रामपुर, जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अंश कुमार सोनवंशी (ANSH KUMAR SONWANSHI) हैं. मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णा सोनवंशी दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को अंश कुमार सोनवंशी (ANSH KUMAR SONWANSHI) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राकेश सोनवंशी)

पिता– सुंदरलाल सोनवंशी.

(G-310)

नाम परिवर्तन

मैं, संतोष कुमार सिलावट पिता श्री कैलाश नारायण सिलावट, निवासी–अग्रासेन वेयर हाउस के पास, कुरावर, राजगढ़ (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में त्रुटिवश नाम संतोष कुमार पिता श्री कैलाश नारायण (SANTOSH KUMAR S/o. KAILASH NARAYAN) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम संतोष कुमार सिलावट पिता श्री कैलाश नारायण सिलावट (SANTOSH KUMAR SILAWAT S/o. KAILASH NARAYAN SILAWAT) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(संतोष कुमार)	**(संतोष कुमार सिलावट)**
(SANTOSH KUMAR)	**(SANTOSH KUMAR SILAWAT)**
पिता– कैलाश नारायण	पिता– श्री कैलाश नारायण सिलावट
(S/o. KAILASH NARAYAN)	(S/o. KAILASH NARAYAN SILAWAT).

(G-311)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम राजेन्द्रकुमार पिता जगदीश प्रसाद चौधरी, निवासी– वार्ड क्र. 18, मंडोता ठाकुर तहसील मंडोता जिला शाजापुर (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम राजेश कुमार पिता जगदीश चौधरी अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है तथा मेरा सही नाम मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम राजेन्द्रकुमार पिता जगदीश प्रसाद चौधरी के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजेश कुमार)	**(राजेन्द्रकुमार)**
(RAJESH KUMAR)	**(RAJENDRA KUMAR)**
पिता– जगदीश चौधरी	पिता– जगदीश प्रसाद चौधरी
(S/o. JAGDISH CHOUDHARY)	(S/o. JAGDISH PRASAD CHOUDHARY).

(G-312)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम लक्ष्मी पत्नी शिव नारायण (LAXMI W/o. SHIV NARAYAN), निवासी– 55, भैसांखेड़ी, बैरागढ़ कला, हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम खिमो बाई पत्नी शिव नारायण (KHIMO BAI W/o. SHIV NARAYAN) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोगे कार्ड व शैक्षणिक दस्तावेज में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम लक्ष्मी पत्नी शिव नारायण (LAXMI W/o. SHIV NARAYAN) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(खिमो बाई)	**(लक्ष्मी)**
(KHIMO BAI)	**(LAXMI)**
	पत्नी– शिव नारायण
	W/o. SHIV NARAYAN.

(G-313)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम करन ढोलपुरिया पिता श्री नरेश, निवासी– ग्राम बनोरा, पोस्ट– पारसोल, तहसील ईसागढ़ बनोरा, अशोक नगर, (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम काल्ला मेहतर (Kalla Mehtar) अंकित हो गया है जो कि गलत है. मेरा वास्तविक सही नाम स्थानीय मूल निवासी प्रमाण–पत्र में दर्ज है. मेरा नाम आधार कार्ड, शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम करन ढोलपुरिया (Karan Dholpuriya) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(काल्ला मेहतर)	**(करन ढोलपुरिया)**
(Kalla Mehtar)	**(Karan Dholpuriya).**

(G-314)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम बबिता रावत पिता पप्पी रावत (BABEETA RAWAT D/o. PAPPI RAWAT), निवासी– तम्बा बयडी फलिया, सोमकुआ, मालवी, मालवी, अलीराजपुर, (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम इवानी पिता पप्पी रावत (IWANI D/o. PAPPI RAWAT) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है, मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण पत्र व लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम बबिता रावत पिता पप्पी रावत (BABEETA RAWAT D/o. PAPPI RAWAT) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इवानी)	**(बबिता रावत)**
(IWANI)	**(BABEETA RAWAT)**
	पिता– पप्पी रावत
	D/o. PAPPI RAWAT.

(G-315)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम नीतू पिता ओरन (NEETU D/o. ORAN), निवासी– ग्राम बगरोदा, पर्सीरा, विदिशा (म.प्र.). परन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नेहा पिता ओरन सिंह (NEHA D/o. ORAN SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम नीतू पिता ओरन (NEETU D/o. ORAN) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नेहा)	**(नीतू)**
(NEHA)	**(NEETU)**
D/o. ORAN SINGH	D/o. ORAN.

(G-316)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सरोज रानी पत्नी धरमदास, निवासी– वार्ड नं.–10, हिण्डोरिया डॉ. भीमराव अम्बेडकर, दमोह तहसील जिला दमोह (म.प्र.). परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम मुन्नी बाई पत्नी धरमदास अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है तथा मेरा नाम मेरे शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में भी दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम सरोज रानी पत्नी धरमदास के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मुन्नी बाई)	**(सरोज रानी)**
(MUNNI BAI)	**(SAROJ RANEE)**
	पत्नी– धरमदास
	W/o. DHARAMDAS.

(G-317)

नाम परिवर्तन

मैं, किशोरसिंह पिता गोकुलसिंह राठौर, निवासी– ग्राम गुर्जरबर्डिया, तहसील जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा सही नाम किशोरसिंह है, किन्तु आधार कार्ड, वोटर आई.डी. में त्रुटिवश फुन्दासिंह राठौर हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत आधार कार्ड व वोटर आई.डी. में फुन्दासिंह राठौर के स्थान पर किशोरसिंह दर्ज किया जावे एवं लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(फुन्दासिंह राठौर)

नया नाम

(किशोरसिंह)
पिता– गोकुलसिंह राठौर.

(G-318)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स अनंत इंटरप्राइजेज फर्म जिसका पता– 59, महेश एवेन्यू, छोटा बांगड़दा रोड, इंदौर है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0469–23 दिनांक 03 फरवरी 2023 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री मनीष जायसवाल पिता श्री नेमीचंद्र जायसवाल, 2. श्री मोहिन जयसवाल पिता श्री जगदीशचंद्र जयसवाल थे. तत्पश्चात् दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. श्री पाटेन्द्र कुमार जायसवाल पिता श्री सोनिलाल जायसवाल भागीदारी फर्म मेसर्स अनंत इंटरप्राइजेज में समिल्लित हो गये हैं एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2025 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री मोहिन जयसवाल पिता श्री जगदीशचंद्र जयसवाल भागीदारी फर्म मेसर्स अनंत इंटरप्राइजेज से पृथक् हो गए हैं. पृथकीय भागीदार ने फर्म अनंत इंटरप्राइजेज से अपना पूर्ण हिसाब–किताब कर लिया है तथा कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है.

तर्फे– मेसर्स अनंत इंटरप्राइजेज

1. मनीष जायसवाल,
2. पाटेन्द्र कुमार जायसवाल
(भागीदार).

(G-319)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरी पुत्री का नाम अर्चिता मुवेल (ARCHITA MUWEL) पुत्री सोहन मुवेल (SOHAN MUWEL), निवासी– ग्राम धनोरा, पोस्ट– बुहरला, जिला धार (म.प्र.) के नाम से जानी एवं पहचानी जाती थी. अब से मेरी पुत्री का नाम अर्शिता मुवेल (ARSHITA MUWEL) पुत्री सोहन मुवेल (SOHAN MUWEL) के नाम से जानी–पहचानी जाएगी एवं लिखा–पढ़ा जावेगा तथा मेरे पुत्री के सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजो में यही नाम दर्ज किया जावें.

आवेदक

(सोहन मुवेल)
(SOHAN MUWEL).

(G-320)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम तैय्यब हुसैन पिता इब्राहीम खान (TAIYYAB HUSEN S/o. EBRAHIM HUSEN), निवासी– 150, सुमति नगर, जे. के. मेमोरियल विद्यालय के पास, आजाद नगर, इंदौर (म.प्र.) के नाम से जाना–पहचाना जाता था. अब मैं, तैय्यब हुसैन बनारसी पिता इब्राहीम खान (TAIYYAB HUSSAIN BANARSI S/o. IBRAHIM KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(तैय्यब हुसैन) **(TAIYYAB HUSEN)**	**(तैय्यब हुसैन बनारसी)** **(TAIYYAB HUSSAIN BANARSI)** पिता– इब्राहीम खान S/o. IBRAHIM HUSEN.

(G-321)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शिवलाल (SHIVLAL) पिता सिध्दू जी, निवासी– ग्राम पालखंदा, पोस्ट करेडी माताजी, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.). मेरे कृषि राजस्व अभिलेख एवं वोटर कार्ड में दर्ज है जो मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवनारायण (SHIVNARAYAN) पिता सिध्दू जी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरा सही नाम शिवलाल (SHIVLAL) पिता सिध्दू जी लिखा–पढ़ा एवं जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवनारायण) **(SHIVNARAYAN)**	**(शिवलाल)** **(SHIVLAL)** पिता– सिध्दू जी.

(G-322)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सवाईसिंह (SAVAISINGH) पिता बापु सिंह है, जो कि सही है, परंतु त्रुटिवश आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड में मेरा नाम शिव सिंह (SHIV SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम सवाईसिंह (SAVAISINGH) पिता बापु सिंह दर्ज किया जावे एवं इसी नाम से लिखा–पढ़ा एवं जाना– पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिव सिंह) **(SHIV SINGH)**	**(सवाईसिंह)** **(SAVAISINGH)** पिता– बापु सिंह पता– ग्राम छागीहेडा, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-323)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्रारुप – चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.– बी–113–(1)–2025–26.– चूँकि प्रार्थी आवेदक "श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" तर्फे अध्यक्ष, पता– टेगौर कॉलोनी, खरगोन, तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.) की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 4 (2) के अंतर्गत अनुसूची में दर्शित चल–अचल सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से "एक माह" के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	–	"श्री पार्श्वनाथ खंडेलवाल दिगम्बर जैन मंदीर ट्रस्ट"तर्फे अध्यक्ष पता– टेगौर कॉलोनी खरगोन तहसील व जिला खरगोन (म.प्र.)
चल – सम्पत्ति	–	निरंक
अचल – सम्पत्ति	–	1. दस्तावेज नोदक कमांक 1–ए/919 दिनांक 29/08/1996 कुल क्षेत्रफल 2648 वर्गफीट क्रय किया है. उक्त भूमि पर भवन निर्मित है. अनुमानित कीमत 1,63,54,800/–
		2. दस्तावेज नोदक क्रमांक 1748 दिनांक 19/06/1968 कुल क्षेत्रफल 2376 वर्गफीट क्रय किया है। उक्त भूमि पर भवन निर्मित है. अनुमानित कीमत 1,40,18,400/–
		3. दस्तावेज नोदक क्रमांक 2318 दिनांक 08/02/2007 कुल क्षेत्रफल 1320 वर्गफीट क्रय किया है. उक्त भूमि पर टीन शेड भवन का उपयोग चौकीदार के निवास के लिये किया जा रहा है. अनुमानित कीमत 048,60,000/–

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 15 दिसम्बर 2025

प्रारुप – चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एवं 1951 की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]

रा.प्र.क्र.– बी–113–(1)–2025–26.– चूँकि प्रार्थी आवेदक "देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी सेवा न्यास" तर्फे अध्यक्ष पता– ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश पिन 451442 की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30–1951) की धारा 4 (2) के अंतर्गत अनुसूची में दर्शित चल–अचल सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन आवेदन–पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से "एक माह" के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	–	"देवी श्री लालबाई फुलबाई माताजी सेवा न्यास" तर्फे अध्यक्ष पता– ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश पिन 451442
चल–सम्पत्ति	–	जिला सहकारी बैंक शाखा सेगांव के बैंक खाता 660010009895 में जमा राशि 4,65,637/– (चार लाख पैसठ हजार छः सौ सैतीस रुपये मात्र)
अचल–सम्पत्ति	–	ग्राम सेगांव, तहसील सेगांव, स्थित भूमि खसरा नंबर 307/7 रकबा 0.3230 हे0 कृषि भूमि.

(G-325) **वीरेन्द्र कटारे**, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अनुभाग, (मल्हारगंज) इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 13 नवम्बर 2025

प्र.क्र.–1252–ट्रस्ट–2025.– मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951: तीसः (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत आवेदक "श्रीमती मणीबाई हरिराम मित्तल पारमार्थिक न्यास, इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फे श्री कैलाशचंद मित्तल कार्यालय पता– 256, एम.टी.क्लाथ मार्केट इंदौर मध्यप्रदेश द्वारा "श्रीमती मणीबाई हरिराम मित्तल पारमार्थिक न्यास, इन्दौर मध्यप्रदेश" का मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा 4(2) के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट मे दिया गया है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	–	"श्रीमती मणीबाई हरिराम मित्तल पारमार्थिक न्यास, इन्दौर
कार्यालय पता	–	256, एम.टी.क्लाथ मार्केट, इंदौर, मध्यप्रदेश
चल–संपत्ति	–	51000/– (अक्षरी रुपये इक्यावन हजार मात्र)
अचल–संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 13 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-326) **निधि वर्मा**, रजिस्ट्रार.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, अनुभाग–बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2025

(नियम पांच–1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

प्र.क्र.– बी–113–2025–26.– एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक दिपक श्रीधर पाटील (अध्यक्ष) निवासी– ग्राम दापोरा, तहसील व जिला बुरहानपुर ने एक आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के तहत प्रस्तुत कर खोडियार माता सेवा संस्थान समिति दापोरा जिला बुरहानपुर के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया है. एतद्द्वारा सूचना–पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन–पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2025 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखत कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. खोडियार माता सेवा संस्थान समिति दापोरा जिला बुरहानपुर व्दारा आवेदक दिपक श्रीधर पाटील (अध्यक्ष) निवासी– ग्राम दापोरा, तहसील व जिला बुरहानपुर.
2. चल–संपत्ति निरंक है.
3. अचल–संपत्ति निरंक है.

(G-327) **अजमेर सिंह गौड़**, पंजीयक.

न्यायालय, कलेक्टर एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश

पांढुर्णा, दिनांक 4 दिसम्बर 2025

प्रारुप–चार

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) देखिए]

प्र.क्र.–0001–बी–113–(1)–2025–2026.– यह कि अध्यक्ष, श्री विट्ठल रूखमाई मंदिर बम्हणी, तहसील पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा (म.प्र.). द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. मैं, लोक न्यास पंजीयक पांढुर्णा, जिला–पांढुर्णा अपने न्यायालय में दिनांक 16 दिसम्बर 2025 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था जो ट्रस्ट या सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से "एक माह" अर्थात् 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन कार्य दिवस अथवा नियत सुनवाई की तिथि को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	–	श्री विट्ठल रूखमाई मंदिर देवस्थान सार्वजनिक न्यास बम्हणी पांढुर्णा, तहसील व जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश.
सम्पत्ति का विवरण	–	1. मौजा – बम्हणी, तहसील पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा (म.प्र.) में स्थित विट्ठल रूखमनी मंदिर. 2. ग्राम बोरखेड़ी, तहसील पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा (म.प्र.) में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 76/1, 131 रकबा क्रमशः 0.9390 एवं 4.2610 हे. 3. दो चांदी के मुकुट, एक जोड़ झूमर.

(G-328)

नीरज कुमार वशिष्ठ, कलेक्टर एवं पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं लोक न्यास, पंजीयक सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 24 नवम्बर 2025 मौजा परसोरिया, तहसील व जिला सागर

प्रारुप–4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1951 का नियम 5 का उपनियम (1) देखिये]

रा.प्र.क्र.–0002–बी–113–2025–26.– जैसा कि सिद्ध क्षेत्र श्री देव हनुमान जी मंदिर (जय दादा दरबार) मंदिर सा. परसोरिया द्वारा आवेदक/अध्यक्ष, रमेश प्रसाद पिता स्व. श्री अयोध्या प्रसाद पाण्डेय, निवासी–ग्राम परसोरिया, तहसील व जिला सागर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 के नियम 2 के तहत् एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन–पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति जो उक्ट ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों. वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के अंदर अपनी आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथव अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगाः–

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल–चल सम्पति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम – सिद्ध श्रीदेव हनुमान जी मंदिर (जय दादा दरबार) मंदिर सा. परसोरिया तह. सागर.

2. अचल सम्पत्ति – मूर्तिया, बर्तन उपकरण आदि.

3. चल सम्पति – निरंक

(G-329) **अमन मिश्रा**, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग देवास, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 13 नवम्बर 2025

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.–6956–रीडर–2025.– आवेदक श्री ऐश्वर्य साठे पिता अनिलकुमार साठे, निवासी– 34/7, राधागंज, देवास, मध्यप्रदेश द्वारा इस न्यायालय में एक आवेदन–पत्र धारा 4 (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत "मराठा समाज देवास सीनियर ट्रस्ट" कार्यालय 87, तुकोगंज रोड, देवास, मध्यप्रदेश के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन–पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा–पत्र उद्देश्य, नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ आवेदन–पत्र संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क राशि रुपये 05/– के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है.

अतः, "मराठा समाज देवास सीनियर ट्रस्ट" कार्यालय 87, तुकोगंज रोड, देवास मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 15 दिसम्बर 2025 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता हैं. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 13 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

(G-330) **आनन्द मालवीया,** अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इन्दौर क्षेत्र जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इन्दौर मध्यप्रदेश

जूनी इन्दौर, दिनांक 12 नवम्बर 2025

(फार्म चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा 5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5(1) के अन्तर्गत]

क्र.–2564–रीडर–1–25.– आवेदक 360 गोत्रीय खटीक समाज ट्रस्ट, पता–खटीक धर्मशाला–4, कबुतरखाना इन्दौर की ओर से आवेदक द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4 के अर्न्तगत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र मे प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगाः–

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल संम्पत्ति – चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	–	360, गोत्रीय खटीक समाज ट्रस्ट, पता–खटीक धर्मशाला 4, कबुतरखाना, इन्दौर
अचल संपत्ति	–	निरंक
चल संपत्ति	–	निरंक

आज दिनांक 12 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(G-331) **प्रदीप सोनी,** रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा तिरूपति बीज उत्पादक प्रक्रिया एव विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, हतियाखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक–1528, दिनांक 21 जनवरी 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत तिरूपति बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, हतियाखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक–1528, दिनांक 21 जनवरी 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से तिरूपति बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, हतियाखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक–1528, दिनांक 21 जनवरी 2011 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-332)

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रं–परिसमापन–2025–578, सीहोर दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांसिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक–1607, दिनांक 31 मार्च 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पद्रह– 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांसिया तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक–1607, दिनांक 31 मार्च 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बांसिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक–1607, दिनांक 31 मार्च 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-333)

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परिसमापन–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्रं–परिसमापन–2025–578, सीहोर, दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजमतनगर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक–1867, दिनांक 2 नवम्बर 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजमतनगर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1867, दिनांक 2 नवम्बर 2017 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, अजमतनगर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक–1867, दिनांक 02 नवम्बर 2017 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज़ दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-334)

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591 सीहोर दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिछिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक–1538, दिनांक 6 मार्च 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पद्रह– 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिछिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक–1538, दिनांक 6 मार्च 2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिछिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1538, दिनांक 6 मार्च 2011 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-335)

सीहोर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.–परि.–2025.– इस कार्यालय का आदेश क्र.–परिसमापन–2025–591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कतपोन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक 1835, दिनांक 11 मार्च 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5–1–99–पंद्रह– 1 सी, दिनांक 29 जुलाई 99 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयत एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी सस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कतपोन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, पंजीयन क्रमांक–1835, दिनांक 11 मार्च 2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कतपोन, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1835, दिनांकं 11 मार्च 2016 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-336) **सुधीर कैथवास,** प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू–1.– उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मूण्डला माहोबिया जोजई.	आष्टा	953/06.11.1989	822/09–07–2025
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., नवरंगपुर	आष्टा	780/30.09.2008	822/09–07–2025
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., महुआखेड़ा	आष्टा	1521/30.10.2010	822/09–07–2025
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., खानदौरपुरा	आष्टा	957/06.11.1989	822/09–07–2025
5.	आजाद बुनकर सह. संस्था मर्या., अलीपुर, आष्टा	आष्टा	1541/05.05.2011	822/09–07–2025

अतः, मैं, जतिन गाचलें, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-337)

सीहोर, दिनांक 28 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि–2025–क्यू.– उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	आशीर्वाद बनुकर सह.संस्था मर्या, मोमनपुरा आष्टा.	आष्टा	1328/28.01.2006	210/20.02.2024
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., तिनोनिया	श्यामपुर	1159/06.10.2000	1385/06.10.2023
3.	मांझी मछुआ सहकारी संस्था मर्या., बुधनी घाट	बुधनी	1066/04.10.1995	1242/06.09.2023
4.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कल्याणपुरा	आष्टा	1217/21.04.2003	578/20.05.2025
5.	दुग्ध उत्पा, सह. संस्था मर्या., पटेलपुरा लोरासखुर्द	आष्टा	1427/28.05.2009	578/20.05.2025
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., गवाखेड़ा	आष्टा	730/20.12.1976	578/20.05.2025
7.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बीसूखेड़ी	आष्टा	1218/21.04.2003	591/26.05.2025
8.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., अरनिया जौहरी	आष्टा	1345/11.07.2006	591/26.05.2025
9.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मिटठुपुरा	आष्टा	1590/14.02.2012	591/26.05.2025
10.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., खाचरोद	आष्टा	1031/19.07.1994	591/26.06.2025
11.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., कमालपुर खेड़ी.	आष्टा	1213/21.04.2003	591/26.05.2025
12.	दुग्ध उत्पा, सह. संस्था मर्या., मोरूखेड़ी	आष्टा	1295/10.05.2005	591/26.05.2025

अतः, मैं, जतिन गाचलें, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-338) **जतिन गाचले,** उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कोठरा	भैरूंदा	1810/24.11.2014	1066/16–12–2024
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कोठरा	भैरूंदा	1273/23.01.2004	1066/16–12–2024
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., माथनी	रेहटी	1249/27.01.2003	1066/16–12–2024

अतः, मैं, रोहित नागर, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-339) **रोहित नागर,** सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सीहोर, दिनांक 28 मई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नीलकंठ	भैरूंदा	1420 / 16.04.2009	578 / 20.05.2025
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., नकटीतलाई	भैरूंदा	1847 / 22.10.2016	578 / 20.05.2025
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सीलकंठ	भैरूंदा	1728 / 06.11.2013	578 / 20.05.2025
4.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., ढोबा	भैरूंदा	1767 / 13.05.2014	591 / 26.05.2025
5.	दुग्ध उत्पा. सह संस्था मर्या., जमोनिया कलां	भैरूंदा	1675 / 29.09.2012	591 / 26.05.2025
6.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., छिदगांवकाछी	भैरूंदा	1630 / 27.09.2012	591 / 26.05.2025
7.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., रमगढ़ा	बुदनी	1700 / 15.03.2013	591 / 26.05.2025

अतः मैं, कपिल घुँघराले, उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने की दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-340) **कपिल घुँघराले,** उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 2 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., गोलूखेड़ी	इछावर	1219 / 13.04.2003	43 / 04–01–2019
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., परोलिया	आष्टा	1467 / 01.02.2010	52 / 17–01–2019
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सतपिपलिया	इछावर	1269 / 06.01.2004	52 / 17–01–2019
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., चीच	भैरूंदा	1626 / 27.09.2012	1313 / 16–12–2022
5.	बलराम बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., सुखलिया हंसराज.	इछावर	1839 / 28.04.2016	1384 / 06–10–2023
6.	सामुदायिक ग्रामीण विकास साख सह. संस्था मर्या., ढाबला.	सीहोर	1814 / 06.12.2014	600 / 10–05–2023
7.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., पावखेड़ी	आष्टा	1851 / 08.12.2016	600 / 10–05–2023
8.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., जताखेड़ा	आष्टा	1339 / 24.05.2006	19 / 05–01–2024
9.	पटेल बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., अमलाहा	इछावर	1603 / 07.03.2012	1242 / 06–09–2023
10.	जय दुर्गे मत्सय सह. संस्था मर्या., सालीखेड़ा	इछावर	1464 / 18.12.2009	1242 / 06–09–2023
11.	मछुआ सह. संस्था मर्या., खजुरिया घेंघी	इछावर	1260 / 27.07.2007	83 / 19–01–2022
12.	महिला मछुआ सह. संस्था मर्या., चैनपुरा	इछावर	1302 / 26.08.2005	1237 / 06–09–2023
13.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बड़नगर	सीहोर	1669 / 29.09.2012	19 / 05–01–2024
14.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मूण्डला आर्या	इछावर	959 / 06.11.1989	1242 / 06–09–2023
15.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., कल्याणपुरा	इछावर	1395 / 13.03.2008	125 / 02–02–2024
16.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., अरनिया गाजी	आष्टा	1037 / 19.07.1994	1237 / 06–09–2023
17.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., गोकुलपुरा	सीहोर	1747 / 11.02.2014	586 / 09–05–2023
18.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या.,. पीपल्या	रेहटी	1239 / 06.06.2003	218 / 21–02–2024
19.	दुग्ध उत्पादक संह. संस्था मर्या., बोरखेड़ा कलां	भैरूंदा	1250 / 27.06.2003	19 / 05–01–2024

अतः, मैं, आर.सी. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एंव उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-341) **आर.सी. रैकवाल,** वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, सहकारी निरीक्षक एवं पसिमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 14 जुलाई 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक/दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., देहरिया मुकाती	इछावर	1652/29.09.2012	578/20.05.2025
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बामलादड	इछावर	1754/24.02.2014	578/20.05.2025
3.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बिसनखेड़ी	इछावर	1803 /16.10.2014	578/20.05.2025
4.	प्राथ. बीज उत्पा. प्रा. एवं वि.सह. संस्था मर्या., ढाबलामाता.	इछावर	1622 / 25.09.2012	591/26.05.2025
5.	महिला दुग्ध उत्पा. सह संस्था मर्या., बागनखेड़ा	इछावर	1444/27.08.2009	591/26.05.2025
6.	दुग्ध उत्पा. सह संस्था मर्या., उमरखाल	इछावर	1182 /05.10.2001	591/25.05.2025

अतः, मैं, सुश्री शिवानी दास, सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एंव उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57(सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-342) **शिवानी दास,** सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 17 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.1– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., अहमदपुर	श्यामपुर	1756 / 26.02.2014	864 / 08.10.2021
2.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., खुशामदा	श्यामपुर	1415 / 02.01.2009	656 / 05.08.2021
3.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., रसूलपुरा	श्यामपुर	1518 / 26.10.2010	1388 / 06.10.2023
4.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., मगरदीकलां	श्यामपुर	1776 / 07.05.2014	1600 / 20.12.2023

अतः, मैं, श्री सुनील सक्सेना, अंकेक्षण अधिकारी सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय–प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-343) **सुनील सक्सेना,** अंकेक्षण अधिकारी एवं परिसमापक.

कार्यालय, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.–परिसमापक–2025–क्यू.Q.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., अतरालिया	भैरूंदा	1629 / 27.09.2012	865 / 08–10–2021
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सालीखेड़ा	सीहोर	1780 / 14.07.2014	1386 / 06–10–2023
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., सिद्धीकगंज	जावर	823 / 11.10.1983	1599 / 20–12–2023
4.	डाक कर्मचारी गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., सीहोर.	सीहोर	870 / 19.12.1984	1026 / 17–07–2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	सिंधु गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., सीहोर	सीहोर	180 / 13.03.1961	600 / 10–05–2023
6.	सीहोर बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बांसापुरा कस्बा.	सीहोर	1366 / 19–04–2007	392 / 09–04–2025
7.	बालाजी प्राथ. सह. उपभोक्ता भंडार मर्या., नसरुल्लागंज.	भैरूंदा	1254 / 09–07–2003	394 / 09–04–2025
8.	प्राथ. बुनकर सह.संस्था मर्या., सीहोर	सीहोर	300 / 27.03.1951	591 / 26–05–2025

अतः, मैं, आर.एस. रैकवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने की दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-344) **आर.एस. रैकवाल,** वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार है:–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कृषक विकास बीज सह.संस्था मर्या., खण्डवा	सीहोर	1559 / 16.09.2011	1066 / 16.12.2024
2.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्यादित, बैजनाथ	आष्टा	835 / 22.04.1984	1242 / 06.09.2023
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सूलखेड़ी.	आष्टा	1204 / 30.11.2002	338 / 09.03.2022
4.	विकास मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, मैना	आष्टा	1060 / 04.08.1995	1026 / 17.07.2023
5.	प्रा. बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या, खामखेड़ा बैजनाथ.	आष्टा	1380 / 27.07.2007	19 / 05.01.2024
6.	दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ.	आष्टा	1206 / 30.11.2002	1383 / 06.10.2023
7.	मातृशक्ति प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., आष्टा	आष्टा	1819 / 06.05.2015	578 / 20.05.2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	अम्बर प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., आष्टा	आष्टा	1831 / 22.09.2015	578 / 20.05.2025
9.	कृष्णा प्राथ. बीज उत्पा.प्र. एवं विप. सह. संस्था मर्या., मुगली.	आष्टा	1832 / 23.12.2015	578 / 20.05.2025
10.	अमन बुनकर सह.संस्था मर्या., इस्लामपुरा आष्टा	आष्टा	1560 / 19.09.2011	591 / 26.05.2025
11.	प्राथ. भारत बुनकर सह. संस्था मर्या., इस्मामपुरा, आष्टा.	आष्टा	1393 / 17.03.2008	591 / 26.05.2025
12.	डॉ. अम्बेडकर हस्तशिल्प बुनकर सह. संस्था मर्या., आष्टा.	आष्टा	1324 / 24.12.2005	591 / 26.05.2025
13.	प्राथ. क्रय विक्रय एवं विप. सह.संस्था मर्या., मैना.	आष्टा	1854 / 03.02.2017	591 / 26.05.2025
14.	प्राथ. बीज उत्पा. प्रक्रिया एवं विप. सह.संस्था मर्या., नौगांव.	आष्टा	1375 / 21.06.2007	591 / 26.05.2025

अतः, मैं, चंद्रलेखा तिवारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एंव उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करती हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-345) **चंद्रलेखा तिवारी,** वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., भाउखेड़ा	जावर	1034 / 19.07.1997	578 / 20–05–2025
2.	सुभाष क्रय–विक्रय एवं विप. सह.संस्था मर्या., भवंरीकलां.	आष्टा	1855 / 03.03.2017	578 / 20–05–2025
3.	श्रीराम क्रय–विक्रय एवं विप. सह.संस्था मर्या., चामसी.	आष्टा	1932 / 02.03.2019	591 / 26–05–2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	महिला दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., भौरासा	आष्टा	1502 / 26.08.2010	591 / 26–05–2025
5.	दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., निपानियाकलां	आष्टा	884 / 22.04.1987	591 / 26–05–2025
6.	दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., कुंडियानाथू	जावर	1102 / 30.07.1987	591 / 26–05–2025
7.	महिला दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., भानाखेड़ी	आष्टा	1436 / 21.08.2009	591 / 26–05–2025

अतः, मैं, विनय शर्मा, उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम, 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-346) **विनय शर्मा,** उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू.– उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, संस्थाओं का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.	संस्था का नाम	तहसील	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक / दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., बालाखेड़ा (आष्टा).	आष्टा	1505 / 04.09.2011	19 / 05–01–2024
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., शंकरपुर	श्यामपुर	1741 / 30.01.2014	345 / 09–03–2022
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्या., मंझेड़ा	इछावर	1821 / 23.06.2015	589 / 09–05–2023
4.	मातृ शक्ति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., इछावर.	इछावर	1477 / 29.05.2021	541 / 02–07–2021
5.	आदर्श गृह निर्माण सह. संस्था मर्या., बुधनी	बुधनी	768 / 20.11.1979	67 / 22–01–2021
6.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या, बचगांव	भैरूंदा	1596 / 17.02.2012	591 / 26–05–2025
7.	महिला प्राथ. सह. उप. भंडार मर्या., मंडी	सीहोर	1114 / 17.07.1997	591 / 26–05–2025
8.	सांची बीज उत्पा. सह. सस्था मर्या., इटावा जदीद.	भैरूंदा	1736बी / 15.01.2014	578 / 20–05–2025
9.	वसुंधरा बीज उत्पा. राह. रांरथा गर्या., राला	भैरूंदा	1585 / 09.01.2012	578 / 20–05–2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	महिला दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., निम्नागांव	भैरूंदा	1729 / 06.11.2013	591 / 26–05–2025
11.	महिला दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., निपानियाँ	आष्टा	1274 / 23.01.2004	591 / 26–05–2025
12.	दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., इटारसी	भैरूंदा	1588 / 25.01.2012	591 / 26–05–2025
13.	दुग्ध उत्पा. सह.संस्था मर्या., आंबाकदीम	भैरूंदा	1689 / 01.01.2013	591 / 26–05 2025
14.	दुग्ध उत्पा. सह. संस्था मर्या., बालागांव	भैरूंदा	1672 / 29.09.2012	591 / 26–05–2025
15.	मछुआ सह. संस्था मर्या., नयापुरा	इछावर	1383 / 13.09.2007	753 / 10–06–2022

अतः, मैं, वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकॉर्ड हो तो वे सूचना–पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् प्राप्त दावें या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी सदस्य / सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(G-347) **वैभव सक्सेना,** उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अन्तर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1820.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–1079, दिनांक 30 सितम्बर 2016 से तानसेन फिल्म निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.–डीआर–जीडब्ल्यूआर–12, दिनांक 09 फरवरी 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, व.स.नि. द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2025 से तानसेन फिल्म निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नही होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-348)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1821.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1797, दिनांक 06 जुलाई 2006 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोहिन्दा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–555, दिनांक 31.03.1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री विजय गौतम, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री विजय गौतम, व.स.नि. द्वारा दिनांक 12 नवम्बर 2025 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोहिन्दा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री विजय गौतम, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-349)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1822.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1616, दिनांक 25 अगस्त 2009 से माँ शारदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–270, दिनांक 16.02.1999 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 06 नवम्बर 2025 से माँ शारदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-350)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1823.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1140, दिनांक 31 मार्च 2016 से ओम शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–319, दिनांक 18 नवम्बर 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 06 नवम्बर 2025 से ओम शांति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि.को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-351)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1824.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–239, दिनांक 21 जुलाई 1996 से वैभव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–136, दिनांक 28.07.1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 06 नवम्बर 2025 से वैभव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक

जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गयो.

(G-352)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1825.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–690, दिनांक 25 मार्च 2015 से पांडव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–320, दिनांक 05.12.2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 06 नवम्बर 2025 से पांडव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-353)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1826.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1136, दिनांक 31 मार्च 2016 से शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–343, दिनांक 19 मई 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा दिनांक 06 नवम्बर 2025 से शोभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-354)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1827.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–3709, दिनांक 28 दिसम्बर 2005 से सत्यम शिवम सुंदरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–309, दिनांक 27 मई 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि. द्वारा, दिनांक 06 नवम्बर 2025 से सत्यम शिवम सुंदरम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री राजीव रूपौलिहा, व.स.नि.को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-355)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1828.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–973, दिनांक 21 मार्च 2016 से गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरौआ, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–914, दिनांक 13 फरवरी 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी स.नि. द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2025 से गंगा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरौआ, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री, मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-356)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1829.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–979, दिनांक 21 मार्च 2016 से मधुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जारौसी, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–256, दिनांक 04 जनवरी 1997 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. द्वारा, दिनांक 17 नवम्बर 2025 से मधुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जारौसी, तहसील चीनौर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-357)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1830.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–968, दिनांक 21 मार्च 2016 से शाक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगामालनपुर, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–957, दिनांक 26 जून 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. द्वारा, दिनांक 17 नवम्बर 2025 से शाक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गंगामालनपुर, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-358)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1831.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–708, दिनांक 23 मार्च 2017 से दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सालबई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–881, दिनांक 10 फरवरी 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. द्वारा, दिनांक 17 नवम्बर 2025 से दुर्गा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सालबई, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-359)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1832.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–366, दिनांक 5 जुलाई 2012 से निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–1392, दिनांक 28 सितम्बर 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. द्वारा, दिनांक 17 नवम्बर 2025 से निर्मित श्रम ठेका सहकारी संस्था मर्या., डबरा तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख़ से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-360)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1833.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1106, दिनांक 09 अप्रैल 2007 से गजापुर खनिज सहकारी संस्था मर्या., गजापुर तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–650, दिनांक 28 जनवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2025 से गजापुर खनिज सहकारी संस्था मर्या., गजापुर तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-361)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1834.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–1078, दिनांक 30 मार्च 2016 से गिर्राज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., छीमक, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–939, दिनांक 23 मार्च 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. द्वारा, दिनांक 17 नवम्बर 2025 से गिर्राज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.छीमक, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्था, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-362)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1835.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–969, दिनांक 21 मार्च 2016 से एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिरूली, तहसील डबरा, ज़िला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–961 दिनांक 01 जुलाई 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव, स.नि. द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2025 से एकता महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चिरूली, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-363)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजीयन–2025–1836.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–982, दिनांक 31 मार्च 2016 से कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटायल, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–925, दिनांक 26 फरवरी 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2025 से कीर्ति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटायल, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा--निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ--5--1--99--पन्द्रह--1--सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-364)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.--पंजीयन--2025--1837.-- यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.--परि.--2001 दिनांक 04 अक्टूबर 2019 से पिताम्बरा क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर--जीडब्ल्यूआर--595, दिनांक 4 अक्टूबर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्री दिनेश सिंह यादव स.नि.को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2025 से पिताम्बरा क्रय विक्रय सहकारी संस्था मर्या., डबरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा--निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना चविधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ--5--1--99--पन्द्रह--1--सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री दिनेश सिंह यादव स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-365)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1838– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र–परि–978 दिनांक 21 मार्च 2016 से रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटमा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–874 दिनांक 12 मार्च 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा, दिनांक 18 नवम्बर 2025 से रूपा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ईटमा, तहसील डबरा जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

(अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-366)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1839– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–966, दिनांक 21 मार्च 2016 से हरिजन पिगरी पालन सहकारी संस्था मर्या., आतरी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–970, दिनांक 08 जून 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा, दिनांक 18 नवम्बर 2025 से हरिजन पिगरी पालन सहकारी संस्था मर्या., आतरी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-367)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1840.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–974, दिनांक 21 मार्च 2016 से खेड़ापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोहिन्दा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–969 दिनांक 16 मई 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि.द्वारा, दिनांक 18 नवम्बर 2025 से खेड़ापति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोहिन्दा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-368)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1841.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–983 दिनांक 21 जुलाई 2016 से मां पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सांखनी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–966 दिनांक 20 जुलाई 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा, दिनांक 18 नवम्बर 2025 से मां पार्वती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सांखनी, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-369)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1842.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2018, दिनांक 10 नवम्बर 1997 से दयाल मटर प्रक्रिया एवं साग सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वीरंगवा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र. डीआर–जीडब्ल्यूआर–246, दिनांक 21 मई 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा, दिनांक 18 नवम्बर 2025 से दयाल मटर प्रक्रिया एवं साग सब्जी उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. , वीरंगवा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-370)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1843.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–971 दिनांक 21 मार्च 2016 से अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मस्तूरा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–969 दिनांक 04 मार्च 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2025 से अर्चना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मस्तूरा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा--निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ--5--1--99--पन्द्रह--1--सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-371)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.--पंजीयन--2025--1844.-- यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.--परि.--962 दिनांक 21 मार्च 2016 से आदर्श सुअर पालन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर--जीडब्ल्यूआर--379 दिनांक 28 जुलाई 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2025 से आदर्श सुअर पालन सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा--निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ--5--1--99--पन्द्रह--1--सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-372)

ग्वालियर, दिनांक 19 नवम्बर 2025

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत)

क्र.–पंजीयन–2025–1845.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–975 दिनांक 10 जनवरी 2005 से आदिवासी यातायात सहकारी संस्था मर्या., चिटौली, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर पंजीयन क्र.डीआर–जीडब्ल्यूआर–208 दिनांक 28 नवम्बर 1991 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सुश्री मानशी, स.नि. को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

सुश्री मानशी, स.नि. द्वारा दिनांक 18 नवम्बर 2025 से आदिवासी यातायात सहकारी संस्था मर्या., चिटौली, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देश के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक सुश्री मानशी, स.नि. को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 19 नवम्बर 2025 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-373) **नरेश सिन्हा,** उप रजिस्ट्रार.

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 18 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के उप नियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्रमांक--परिसमापन--2025–क्यू.-- कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के संशोधित आदेश के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र.व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	छाया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	719/21.01.1998	4003/05.12.2025
2.	प्रभुश्री आदिनाथ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	752/14.07.1998	4004/05.12.2025
3.	सांझी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	770/26.02.1999	4005/05.12.2025
4.	समग्र गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर	774/06.05.1999	4006/05.12.2025
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हतुनिया	731/30.07.1983	3346/15.10.2025

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1)(सी/ग) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मय–प्रमाण के मुझे लिखित प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण /साहूकारगण किसी लाभ के बंटवारे से वंचित के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. तदनुसार समिति की लेखा–पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी /देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 18 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया.

प्रफुल्ल जोशी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-374)

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 12 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू–1.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	परिसमापन आदेश क्र.	परिसमापन दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., झाबा.	2125	30–05–2018	357/144	29–02–2024
2.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., नरवाली.	2142	30–05–2018	357/145	29–02–2024
3.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खेरवा.	2300	18–06–2018	357/146	29–02–2024
4.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., जामला	2141	30–05–2018	357/147	29–02–2024
5.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., घोटियादेव.	2348	27–06–2018	357/148	29–02–2024
6.	संजीवनी संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., टाण्डा.	2789	16–08–2018	357/149	29–02–2024
7.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कदवाल.	2126	30–05–2018	357/150	29–02–2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गेटा.	2143	30–05–2018	357 / 151	29–02–2024
9.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., करगदा.	2301	18–06–2018	357 / 152	29–02–2024
10.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गड़रावद.	2149	30–05–2018	357 / 153	29–02–2024
11.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., घटबोरी.	2349	27–06–2018	357 / 154	29–02–2024
12.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कुतेड़ी.	2127	30–05–2018	357 / 155	29–02–2024
13.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जाली.	2144	30–05–2018	357 / 156	29–02–2024
14.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., अम्बासोटी.	2329	18–06–2018	357 / 157	29–02–2024
15.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., काकड़कुंआ.	2154	30–05–2018	357 / 158	29–02–2024
16.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., आगर.	2400	27–06–2018	357 / 159	29–02–2024
17.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., खरवाली.	2128	30–05–2018	357 / 160	29–02–2024
18.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बागपुरा.	2145	30–05–2018	357 / 161	29–02–2024
19.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, गरडी.	2331	18–06–2018	357 / 162	29–02–2024
20.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कुडुजेता.	2401	27–06–2018	357 / 163	29–02–2024
21.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मुकुन्दपुरा.	2129	30–05–2018	357 / 164	29–02–2024
22.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बडदा.	2146	30–05–2018	357 / 165	29–02–2024
23.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बांणदा.	2332	18–06–2018	357 / 166	29–02–2024
24.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., चिजबा.	2402	27–06–2018	357 / 167	29–02–2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., उकाला.	2130	30–05–2018	357 / 168	29–02–2024
26.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बरखेड़ा.	2147	30–05–2018	357 / 169	29–02–2024
27.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. झिरपान्या.	2335	18–06–2018	357 / 170	29–02–2024
28.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., भमोरी.	2403	27–06–2018	357 / 171	29–02–2024
29	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गुडा.	2131	30–05–2018	357 / 172	29–02–2024
30.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. महाकालपुरा.	2148	30–05–2018	357 / 173	29–02–2024
31.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बोरकुई.	2404	27–06–2018	357 / 174	29–02–2024
32	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बराड़.	2479	10–07–2018	357 / 175	29–02–2024
33.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. रिसावला.	2132	30–05–2018	357 / 176	29–02–2024
34.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बाग.	2150	30–05–2018	357 / 177	29–02–2024
35.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पिपरी.	2405	27–06–2018	357 / 178	29–02–2024
36.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., करणपूरा.	2480	10–07–2018	357 / 179	29–02–2024
37.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., भोड़दा.	2703	14–08–2018	357 / 180	29–02–2024
38.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जामन्यापुरा	2133	30–05–2018	357 / 181	29–02–2024
39.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., पेरठा.	2151	30–05–2018	357 / 182	29–02–2024
40.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., अखाड़ा	2406	27–06–2018	357 / 183	29–02–2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मुहाजा.	2704	14–08–2018	357 / 184	29–02–2024
42.	बाधेश्वरी संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या., बाग II.	2781	16–08–2018	357 / 185	29–02–2024
43.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., जामला.	2134	30–05–2018	357 / 186	29–02–2024
44.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मगदी.	2152	30–05–2018	357 / 187	29–02–2024
45.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., टकारी.	2407	27–06–2018	357 / 188	29–02–2024
46.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., छरवानी.	2705	14–08–2018	357 / 189	29–02–2024
47.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बड़कच्छ.	2135	30–05–2018	357 / 190	29–02–2024
48.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बांकीटाण्डा.	2153	30–05–2018	357 / 191	29–02–2024
49.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, धोगधड़ी.	2706	14–08–2018	357 / 192	29–02–2024
50.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., मेरती.	2136	30–05–2018	357 / 193	29–02–2024
51.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., कनेरी.	2155	30–05–2018	357 / 194	29–02–2024
52.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., हसलबड़.	2707	14–08–2018	357 / 195	29–02–2024
53.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बैकल्या.	2137	30–05–2018	357 / 196	29–02–2024
54.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या, कलमखेडी.	2708	14–08–2018	357 / 197	29–02–2024
55.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., गातला.	2138	30–05–2018	357 / 198	29–02–2024
56.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या., बांकीबाग.	2139	30–05–2018	357 / 199	29–02–2024
57.	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. टाण्डा.	2140	30–05–2018	357 / 200	29–02–2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी/देनदारी/आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

(G-375)

धार, दिनांक 12 दिसम्बर 2025

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के उपनियम 57(1)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2025–क्यू–1.– कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (1) के अंतर्गत निम्न सहकारी समितियों को परिसमापन में लाई जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:–

क्र	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	पंजीयन दिनांक	परिसमापन आदेश क्र	परिसमापन दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)
1	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बरमखेडी	1923	17.05.2018	357/590	29.02.2024
2	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खामलिया	1940	23.05.2018	357/591	29.02.2024
3	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. करनावद	2274	12.06.2018	357/592	29.02.2024
4	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अंतेडी	2322	18.06.2018	357/593	29.02.2024
5	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बोरखेडी	2505	10.07.2018	357/594	29.02.2024
6	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सेमलखेडीकला	2621	13.07.2018	357/595	29.02.2024
7	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भोपावर	2687	13.07.2018	357/596	29.02.2024
8	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अम्बामाल	2728	14.08.2018	357/597	29.02.2024
9	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. जोलाना	1924	17.05.2018	357/598	29.02.2024
10	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सोनियाखेड़ी	1941	23.05.2018	357/599	29.02.2024

11	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पडूनीखुर्द	2276	12.06.2018	357 / 600	29.02.2024
12	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. हातोद	2323	18.06.2018	357 / 601	29.02.2024
13	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. चौबारा	2506	10.07.2018	357 / 602	29.02.2024
14	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बरोदिया	2630	13.07.2018	357 / 603	29.02.2024
15	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पोशिया	2729	14.08.2018	357 / 604	29.02.2024
16	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. धुलेट	2839	03.12.2018.	357 / 605	29.02.2024
17	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बोला	1925	17.05.2018	357 / 606	29.02.2024
18	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बालोदा	1942	23.05.2018	357 / 607	29.02.2024
19	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. टिमायची	2278	12.06.2018	357 / 608	29.02.2024
20	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पसावदा	2507	10.07.2018	357 / 609	29.02.2024
21	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मारोल	2631	13.07.2018	357 / 610	29.02.2024
22	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. लालपुरा	2730	14.08.2018	357 / 611	29.02.2024
23	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. इन्चुर	1926	17.05.2018	357 / 612	29.02.2024
24	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मिना	1943	23.05.2018	357 / 613	29.02.2024
25	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बडवेली	2508	10.07.2018	357 / 614	29.02.2024
26	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. लेडगांव	2653	13.07.2018	357 / 615	29.02.2024
27	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. रिंगनोद	2843	28.12.2018	357 / 616	29.02.2024
28	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. गुमानपुरा	2509	10.07.2018	357 / 617	29.02.2024
29	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. उण्डेली	2654	13.07.2018	357 / 618	29.02.2024
30	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. महापुरा	2732	14.08.2018	357 / 619	29.02.2024

31	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सेमलीखेडा खुर्द	2844	28.12.2018	357 / 620	29.02.2024
32	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. चौटिया बालोदा	2049	30.05.2018	357 / 621	29.02.2024
33	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कंजरोटा	2510	10.07.2018	357 / 622	29.02.2024
34	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. ईंडरिया	2658	13.07.2018	357 / 623	29.02.2024
35	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. रूपाखेड़ा	2733	14.08.2018	357 / 624	29.02.2024
36	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. रतनपुरा	1917	17.05.2018	357 / 625	29.02.2024
37	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. हनुमंत्याकाग	2050	30.05.2018	357 / 626	29.02.2024
38	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. आमलिया	2511	10.07.2018	357 / 627	29.02.2024
39	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सगवाल	2662	13.07.2018	357 / 628	29.02.2024
40	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. हनुमंत्यासिंगेश्वर	2734	14.08.2018	357 / 629	29.02.2024
41	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. रालामंडल	1918	17.05.2018	357 / 630	29.02.2024
42	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बरमण्डल	2059	30.05.2018	357 / 631	29.02.2024
43	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. दत्तिगांव	2387	27.06.2018	357 / 632	29.02.2024
44	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. फुटतालाब	2512	10.07.2018	357 / 633	29.02.2024
45	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अमोदिया	2668	13.07.2018	357 / 634	29.02.2024
46	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मोलाना	2735	14.08.2018	357 / 635	29.02.2024
47	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. आम्बा	2863	28.12.2018.	357 / 636	29.02.2024
48	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बोदली	1919	17.05.2018	357 / 637	29.02.2024
49	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सेमलखेडी	2060	30.05.2018	357 / 638	29.02.2024
50	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सेमलिया	2388	27.06.2018	357 / 639	29.02.2024
51	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भरावदा	2679	13.07.2018	357 / 640	29.02.2024
52	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. गोन्दीखेडा चारण	2736	14.08.2018	357 / 641	29.02.2024
53	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खाकरियाझीरी	2864	28.12.2018.	357 / 642	29.02.2024

54	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खरजुनी	1920	17.05.2018	357 / 643	29.02.2024
55	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कोठड़ाकला	2061	30.05.2018	357 / 644	29.02.2024
56	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सोनगंढ़	2389	27.06.2018	357 / 645	29.02.2024
57	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बोडिया	2680	13.07.2018	357 / 646	29.02.2024
58	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. चालनी	2737	14.08.2018	357 / 647	29.02.2024
59	संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कुमारपाटा	2831	03.12.2018.	357 / 648	29.02.2024
60	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. हनुमंत्या पदमपुरा	2851	28.12.2018	357 / 649	29.02.2024
61	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खुटपला	1921	17.05.2018	357 / 650	29.02.2024
62	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बनी	2072	30.05.2018	357 / 651	29.02.2024
63	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. नयापुरा	2156	12.06.2018	357 / 652	29.02.2024
64	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. माछलिया	2390	27.06.2018	357 / 653	29.02.2024
65	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पंचरूड़ी	2681	13.07.2018	357 / 654	29.02.2024
66	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भिलगुन	2738	14.08.2018	357 / 655	29.02.2024
67	संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. श्यामपुरा ठाकुर	2832	03.12.2018.	357 / 656	29.02.2024
68	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. जूनापानी	2866	28.12.2018.	357 / 657	29.02.2024
69	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मेहगॉव	2073	30.05.2018	357 / 658	29.02.2024
70	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. हनुमंत्या	2167	12.06.2018	357 / 659	29.02.2024

71	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. धुलेट	2391	27.06.2018	357 / 660	29.02.2024
72	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पटलावदिया	2682	13.07.2018	357 / 661	29.02.2024
73	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बोदला	2739	14.08.2018	357 / 662	29.02.2024
74	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सुनारिया	2833	03.12.2018.	357 / 663	29.02.2024
75	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. नरसिंग देवला	2081	30.05.2018	357 / 664	29.02.2024
76	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. चंन्दोडिया	2210	12.06.2018	357 / 665	29.02.2024
77	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मांगोद	2291	18.06.2018	357 / 666	29.02.2024
78	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भांनगढ़	2392	27.06.2018	357 / 667	29.02.2024
79	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. फुलगावड़ी	2683	13.07.2018	357 / 668	29.02.2024
80	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भाटियाबयड़ी	2834	03.12.2018.	357 / 669	29.02.2024
81	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. संदला	2082	30.05.2018	357 / 670	29.02.2024
82	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बिछीयां	2242	12.06.2018	357 / 671	29.02.2024
83	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. डाडुर	2287	18.06.2018	357 / 672	29.02.2024
84	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. खरेली रूपारेडी	2296	18.06.2018	357 / 673	29.02.2024
85	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अमझर	2393	27.06.2018	357 / 674	29.02.2024
86	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. भण्डारिया	2684	13.07.2018	357 / 675	29.02.2024
87	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. गुराडिया	2835	03.12.2018.	357 / 676	29.02.2024
88	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. गोविंदपुरा	2871	28.12.2018.	357 / 677	29.02.2024
89	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. दन्तौली	2083	30.05.2018	357 / 678	29.02.2024
90	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मानगढ़	2267	12.06.2018	357 / 679	29.02.2024
91	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मोरगांव	2288	18.06.2018	357 / 680	29.02.2024
92	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बांदेडी	2303	18.06.2018	357 / 681	29.02.2024
93	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. बागपिपल्या	2503	10.07.2018	357 / 682	29.02.2024
94	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. पिपरनी	2685	13.07.2018	357 / 683	29.02.2024
95	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. चुनारपाड़ा	2836	03.12.2018.	357 / 684	29.02.2024
96	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सिरोदा	2872	28.12.2018.	357 / 685	29.02.2024

97	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मोयाखेड़ा	1922	17.05.2018	357 / 686	29.02.2024
98	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. दसई	1939	23.05.2018	357 / 687	29.02.2024
99	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. टाण्डाखेडा मेहगांव	2084	30.05.2018	357 / 688	29.02.2024
100	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. सुखी इमली	2269	12.06.2018	357 / 689	29.02.2024
101	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. घटोदा	2289	18.06.2018	357 / 690	29.02.2024
102	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. अमझेरा	2314	18.06.2018	357 / 691	29.02.2024
103	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. मनासीया	2504	10.07.2018	357 / 692	29.02.2024
104	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. देदला	2686	13.07.2018	357 / 693	29.02.2024
105	प्राथमिक महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संस्था मर्या. कुशलपुरा	2837	03.12.2018.	357 / 694	29.02.2024
106	अमका झमका संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या. अमझेरा	2808	16.08.2018	357 / 695	29.02.2024
107	संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या. अमझेरा	2777	16.08.2018	357 / 696	29.02.2024
108	जय नरसिंह संकुल महिला आजीविका बहुप्रयोजन सहकारी संघ मर्या. सरदारपुर	2800	16.08.2018	357 / 697	29.02.2024

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1960 के उपनियम 57 (1) (सी / ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के अन्तर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे समिति के विरुद्ध अपने समस्त दावों की इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दो माह के अंदर मय–प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण / साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा, तदानुसार समिति की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा समिति के समस्त लेनदारी / देनदारी / आस्तियों का अंतिम रूप से निराकरण मेरे द्वारा कर दिया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 12 दिसम्बर 2025 को मेरे द्वारा जारी किया गया है.

जी. एस. कनेश, परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

(G-376)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जनवरी 2026—पौष 19, शक 1947

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.